



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 3279/अका./वि.परि./2017


रायपुर, दिनांक : 08 /02/2017

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की मंगलवार, दिनांक 14.02.2017 को अपराह्न 3:00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

स्थान : प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में।

1. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 18.05.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
टीप :- कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 18.05.2016 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
3. नवम्बर के अंतिम सप्ताह 28 से 30 नवम्बर, 2016 को नैक द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया एवं विश्वविद्यालय को "A" Grade प्रदान किया गया। सम्माननीय सदस्यों को सूचनार्थ प्रस्तुत।
4. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016, 15.07.2016, 27.07.2016, 20.09.2016, 22.11.2016 एवं 10.01.2017 में की गई अनुशांसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् में किया गया है। सूचना ग्रहण करना।
टीप :- कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
5. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. 9623/2016/38-2 दिनांक 07.12.2016 के संदर्भ में पुनःपुनर्मूल्यांकन/पैनल मूल्यांकन हेतु प्रावधान में संशोधन की सूचना ग्रहण करना।
टीप : अध्यादेश क्रमांक 06 में संशोधित करने हेतु गठित समिति के प्रतिवेदनानुसार पुनःपुनर्मूल्यांकन/पैनल मूल्यांकन हेतु प्रपत्र-2 एवं पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत 5 प्रतिशत का अंतर को मान्य करने के संबंध में प्रपत्र-2 तैयार कर 25वीं समन्वय समिति में रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित की गई है, का सूचना ग्रहण करना।
06. अध्यादेश क्रमांक 45 एवं 52 में किये गये संशोधन की सूचना ग्रहण करना।
टीप : यू.जी.सी. के द्वारा प्रकाशित भारत का राजपत्र की अधिसूचना 5 मई, 2016 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड प्रक्रिया) विनियम 2016 के अनुसार अध्यादेश क्रमांक 45 एवं 52 में संशोधन हेतु गठित समिति के परीक्षणोपरांत प्रपत्र-2 संलग्न है। संशोधन को मान्य कर आगामी समन्वय समिति में प्रेषित किया जाना है।

07. अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।



कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 3289 अका./वि.परि./2017

रायपुर, दिनांक : 08 /02/2017

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. वित्त नियंत्रक /अंकेक्षण विभाग,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 1384/अका./वि.परि./2016

रायपुर, दिनांक : 26 / 05 / 2016

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 18.05.2016 को अपराह्न 3:00 बजे प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1. प्रोफे. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. अमरकांत पाण्डेय	-	सदस्य
3. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	-	सदस्य
4. डॉ. आर.पी. दास	-	सदस्य
5. डॉ. ज्योति पाण्डेय	-	सदस्य
6. डॉ. स्वप्निल कर्महे	-	सदस्य
7. डॉ. अंजना ठाकुर	-	सदस्य
8. डॉ. आर.के. ब्रम्ह	-	सदस्य
9. डॉ. प्रियम्बदा श्रीवास्तव	-	सदस्य
10. डॉ. ज्योति रवि तिवारी	-	सदस्य
11. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	-	सदस्य
12. डॉ. मिताश्री मित्रा	-	सदस्य
13. डॉ. आभा रूपेन्द्र पाल	-	सदस्य
14. डॉ. सी.एल. पटेल	-	सदस्य
15. डॉ. के.एस. पटेल	-	सदस्य
16. डॉ. एच.के. पाठक	-	सदस्य
17. डॉ. ए.के. गुप्ता	-	सदस्य
18. डॉ. निनाद बोधनकर	-	सदस्य
19. डॉ. के.के. घोष	-	सदस्य
20. डॉ. सरला शर्मा	-	सदस्य
21. डॉ. शैल शर्मा	-	सदस्य
22. डॉ. पी.के. शर्मा	-	सदस्य
23. डॉ. एस.के. जाधव	-	सदस्य
24. डॉ. सी.डी. अग्गासे	-	सदस्य
25. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
26. डॉ. अरूण कुमार	-	सदस्य
27. डॉ. आर.एन. बघेल	-	सदस्य
28. डॉ. स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
29. डॉ. माया वर्मा	-	सदस्य
30. डॉ. संजय कुमार	-	सदस्य
31. डॉ. दिनेश नदिनी परिहार	-	सदस्य
32. डॉ. रीता वेणु गोपाल	-	सदस्य
33. डॉ. (श्रीमती) रक्षा सिंह	-	सदस्य
34. डॉ. ममता शर्मा	-	सदस्य
35. डॉ. सुशील तिवारी	-	सदस्य
36. डॉ. आर.एन. सिंह	-	सदस्य
37. डॉ. अशोक प्रधान	-	सदस्य
38. डॉ. (श्रीमती) प्रिया राव	-	सदस्य
39. डॉ. (श्रीमती) अनुभा झा	-	सदस्य
40. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित रहे -

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन | 10. डॉ. रेखा पिपलगांवकर |
| 2. अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल | 11. डॉ. माया शेडपुरे |
| 3. डॉ. अब्दुल अलीम खान | 12. डॉ. एम.वाणी सुब्रामनियम |
| 4. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज | 13. डॉ. भगवंत सिंह |
| 5. डॉ. जया तिवारी | 14. डॉ. प्रभा रोहतगी |
| 6. डॉ. राम किशोर मिश्र | 15. डॉ. बशीर हसन |
| 7. श्रीमती आस्मा सईद | 16. डॉ. कविता ठाकुर |
| 8. डॉ. गिरीश कांत पाण्डेय | 17. डॉ. दिनेश कुमार वर्मा |
| 9. डॉ. श्रीकांत कमलाकांत पाण्डे | 18. डॉ. राजीव तिवारी |

कार्यवृत्त :

1. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 23.09.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.09.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

2. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 23.09.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.09.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.10.2015, 11.12.2015, 15.02.2016 एवं 13.04.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय: विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.10.2015, 11.12.2015, 15.02.2016 एवं 13.04.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण :

कुलपति द्वारा सभी सदस्यगणों को निम्नलिखित जानकारी से अवगत कराया :-


1. UGC के पत्र क्रमांक D.O.NO.F.1-11/2015(Cm) 21st November, 2015 के अनुसार MHRD के द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए स्थापित National Institution Ranking Framework (NIRF) पैरामीटर के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को 61.09 अंकों के साथ 46वां रैंक प्रदान किया है एवं इसी कड़ी में विश्वविद्यालय स्थित फार्मैसी संस्थान को देश के अग्रणी संस्थानों की सूची में 22वां स्थान मिला है। महाविद्यालयों को भी NIRF पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।

2. विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के स्नातकोत्तर कक्षाओं में सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए आफलाइन एवं आनलाइन दोनों प्रकार की व्यवस्था की गई है। ऑनलाईन प्रवेश पद्धति को अपनाया जा रहा है एवं प्रवेश-परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिये जाने की सूचना दी गई।
3. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2015 के अनुशंसानुसार यू.जी.सी. का पत्र क्र. D.O.No. F. 1-1/2015(Secy) 27th October 2015 राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (RAA) के संबंध में समस्त अध्ययनशाला एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय को प्रेषित कर तदनुसार कार्यवाही किये जाने के लिये जानकारी दी गई।
4. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की चतुर्थ सेमेस्टर के सैद्धांतिक परीक्षा के अंतिम तिथि के पश्चात् लघु शोध प्रबंध (Desertation) (जिन पाठ्यक्रमों में लघु शोध प्रबंध आवश्यक है) विभाग में जमा करने के लिये 15 दिनों की समय सीमा का अनुमोदन किया गया।
5. विश्वविद्यालय के अध्यादेश, परिनियम, अधिनियम, विनियम के परीक्षण एवं आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु डॉ. शैलेन्द्र सराफ, आचार्य, फार्मसी संस्थान एवं संकायाध्यक्ष तकनीकी संकाय तथा डॉ. ए.के. पाण्डेय, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला एवं संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय को अधिकृत किया गया।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिसूचना दिनांक 04 मई, 2016 को राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 10.05.2016 के अनुसार अध्यादेश क्रमांक 4 में आवश्यकतानुसार आवश्यक संशोधन विभागाध्यक्षों से चर्चा कर, करने हेतु संकायाध्यक्ष तकनीकी संकाय एवं संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय एवं डायरेक्टर IQAC को अधिकृत किया गया है।
7. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग से नये पाठ्यक्रम एवं संचालित पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों के (यदि आवश्यकता हो तो) सृजन संबंधी प्रस्ताव औचित्य सहित मंगाई जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष




कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 1385/अका./वि.परि./2016

रायपुर, दिनांक : 26/05/2016

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला/ग्रांट सेल/समस्त विभागीय अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. वित्त नियंत्रक /अंकेक्षण विभाग,
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

प्रो. धीरेन्द्र पाल सिंह
निदेशक
Prof. D. P. Singh
Director



राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान
NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
An Autonomous Institution of the University Grants Commission

F.19.26/EC(SC-20)/DO/2016/1.3

16th December 2016

The Vice Chancellor
Pandit Ravishankar Shukla University
Amanaka, G. E. Road
Raipur - 492010
Chhattisgarh

Dear Vice Chancellor,


Greetings from NAAC!

I am glad to inform you that the outcome of the Assessment and Accreditation (A&A) exercise of your institution has been processed and approved by the Standing Committee constituted by the Executive Committee to examine the peer team reports and declare the accreditation results. Your institution has been **Accredited** with a **CGPA of 3.02** on a seven point scale at **A Grade** valid for a period of five years from 16/12/2016. The result is already uploaded on NAAC website. The original certificate of accreditation with the quality profile will be dispatched to the institution in due course. I am sure that the detailed peer team report handed over to you during the exit meeting along with the quality profile will enable the institution to initiate further quality enhancement measures.

As per the new guidelines of NAAC, it is mandatory for institutions to retain the Self-Study Report (SSR) uploaded on the institutional website for A&A by NAAC until the completion of validity period of A&A. The SSR should not be password protected and accessible to all the stakeholders. Institutions are also requested to take note of the mandatory requirement of submitting Annual Quality Assurance Report (AQAR) and uploading them on the institutional website on regular basis. Failing to submit the AQARs annually, institutions will not be eligible for the next cycle of accreditation. For details on the revised guidelines, please visit our website: www.naac.gov.in from time to time.

With best wishes,

Yours sincerely,



(D. P. Singh)

पो. ओ. बाक्स नं. 1075, नागरभावी, बेंगलूरु - 560 072, भारत, P.O.Box No.1075, Nagarbhavi, Bengaluru - 560 072, INDIA

दूरभाष Phone : +91-80-23210267, 23005112, 114, 115 फेक्स Fax : +91-80-23210268

ई-मेल : e-mail : director.naac@gmail.com वेबसाइट Website : www.naac.gov.in

Former Vice-Chancellor, BHU, Varanasi, Dr. H.S. Gour University, Sagar & Devi Ahilya University, Indore



राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान
NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

*The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Pandit Ravishankar Shukla University
Amanaka, Raipur, Chhattisgarh as
Accredited
with CGPA of 3.02 on seven point scale
at A grade
valid up to December 15, 2021*

Date : December 16, 2016



Alkesh
Director

EC(SC)/20/A&A/13



राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान
NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Quality Profile

Name of the Institution : Pandit Ravishankar Shukla University

Place : Amanaka, Raipur, Chhattisgarh

Criteria	Weightage (W_i)	Criterion-wise Weighted Grade Point (Cr WGP)	Criterion-wise Grade Point Averages (Cr WGP _i / W_i)
I. Curricular Aspects	150	450	3.00
II. Teaching-Learning and Evaluation	200	650	3.25
III. Research, Consultancy and Extension	250	690	2.76
IV. Infrastructure and Learning Resources	100	330	3.30
V. Student Support and Progression	100	300	3.00
VI. Governance, Leadership & Management	100	300	3.00
VII. Innovations and Best Practices	100	300	3.00
Total	$\sum_{i=1}^7 W_i = 1000$	$\sum_{i=1}^7 (Cr WGP) = 3020$	

$$\text{Institutional CGPA} = \frac{\sum_{i=1}^7 (Cr WGP)}{\sum_{i=1}^7 W_i} = \frac{3020}{1000} = \boxed{3.02}$$

Grade =



Date : December 16, 2016

D. Singh
Director

- This certification is valid for a period of Five years with effect from December 16, 2016
- An institutional CGPA on seven point scale in the range of 3.76 - 4.00 denotes A++ grade, 3.51 - 3.75 denotes A+ grade, 3.01 - 3.50 denotes A grade, 2.76 - 3.00 denotes B++ grade, 2.51 - 2.75 denotes B+ grade, 2.01 - 2.50 denotes B grade, 1.51 - 2.00 denotes C grade
- Scores rounded off to the nearest integer

EC(SC)/20/A&A/13



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1444/अका./वि.प.स्थायी समिति/2016

रायपुर, दिनांक: 4/06/2016

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शनिवार, दिनांक 04.06.2016 अपराह्न 03.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

- | | | |
|----------------------------------|---|---------|
| 1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. अमरकांत पाण्डेय | - | सदस्य |
| 3. डॉ. रश्मि मिंज | - | सदस्य |
| 4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ | - | सदस्य |
| 5. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव | - | सचिव |

अनुपस्थित सदस्य - डॉ. अब्दुल अलीम खान

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 13.04.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 13.04.2016 के कार्यवृत्त की कंडिका 4 के अंतर्गत स्थायी सम्बद्धता हेतु प्रकरण में (1) रामचण्डी महाविद्यालय, बगईजोर, सराइपाली को विषय- B.A. (FC, Hindi, Economics, Geography, Sociology, Political Sc.), PGDCA, B.Com. (Computer Application) में स्थायी सम्बद्धता हेतु एवं (2) एम.जे. कालेज, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई में BBA पाठ्यक्रम को स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के लिये विश्वविद्यालयीन परीक्षा के संचालन संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुसार परीक्षा विभाग एवं गोपनीय विभाग से जानकारी प्राप्त किया एवं उपरोक्त दोनों महाविद्यालयों में परीक्षा संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अतः दोनों महाविद्यालयों को उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रमों में स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी अनुसंसा करते हुए विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 13.04.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम एवं स्थापना वर्ष	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	आदर्श महावि. मुर्दा रोड, दतरेंगा, रायपुर (2015-16)	B.Sc.-I- Bio- (Chemistry, Botany, Zoology)	60	2016-17	1. प्रो. एच.के. पाठक, गणित अध्ययनशाला 2. प्रो. के.के. घोष, रसायन अध्ययनशाला 3. प्रो. आर.एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला 4. डॉ. अरविंद गिरोलकर, प्राचार्य, शास. दू.व. महिला महावि. रायपुर 5. डॉ. रेणु माहेश्वरी, शास. नागार्जुन विज्ञान पीजी महा. रायपुर
	शासन का आदेश क्र. 38/398/आउशि/अशै.प्र./2016 दिनांक 02.05.2016	B.Sc.-I- Maths (Physics, Chemistry, Maths)	60		

		B.Com. Computer Application - II year	60	2016-17	1. प्रो. आर.पी. दास, वि.वि. प्रबंध संस्थान 2. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, अध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, 3. डॉ. समीर ठाकुर, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर
<p>निरीक्षण तिथि : 29.04.2016 (B.Sc.-I Bio. & Maths) वि.वि. के पत्र क्र. 1116/अका./2016 रायपुर, दिनांक 12.04.2016 के संदर्भ में निरीक्षण समिति ने आज दिनांक 23.04.2016 को आदर्श महा. दतरेगा, रायपुर का निरीक्षण किया और पाया कि :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महा. में बी.एस-सी. (बायो) (प्रथम वर्ष)-60 सीट, बी.एस-सी. (गणित) प्रथम वर्ष-60 सीट हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र एवं जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। लाइब्रेरी कक्ष एवं पर्याप्त संख्या में PC's के साथ कम्प्यूटर लैब है। 3. प्रत्येक विषय - भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, एवं फाउंडेशन कांसे में 01-01 शिक्षक की नियुक्ति आवश्यक है। 4. प्रत्येक विषय के लिये लाइब्रेरी हेतु छात्र अनुपात में (1:5) पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु विश्वविद्यालय के Prospectus में वर्णित पुस्तकें ही क्रय किये जाने चाहिए। 					
<p>निरीक्षण तिथि : 11.05.2016 (B.Com. Computer Application-IIyear)</p> <ul style="list-style-type: none"> • College has land but operating in nursing college building. Its own building is under construction. • It has adhoc faculty who are engaging commerce classes. Advertisement is given for appointment under section 28, it was told that all formalities except interview is to be held for appointment of faculty. • There are only 5 Students in B.Com. 1st year. They have software but not licensed. • Books are not adequate, more books worth Rs. 10000 need to be purchased. 					
<p>निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में अथवा सत्र 2016-17 प्रारंभ होने के पूर्व नियुक्त करें। शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम एवं स्थापना वर्ष	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	शास. महावि. लवन (2009-10)	B.A,II - F.C., Hindi Litt., English Litt., Economics, Political Sc', Geography	100	2010-11	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल, प्राचार्य, शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महावि. रायपुर
		B.A,-III- F.C., Hindi Litt., English Litt., Economics, Political Sc', Geography	100	2011-12 से	
		B.Sc. -II - F.C., Chemistry, Botany, Zoology	55	2010-11	डॉ. अरविंद गिरोलकर, प्राचार्य, शास. दू. ब. महिला महावि. रायपुर

	B.Sc. - III- F.C., Chemistry, Botany, Zoology	55	2011-12 से		
	B.Com.-II Compulsory Subject	100	2010-11	डॉ. जे.एन. केशरवानी, शास. दाउ कल्याण रिह महा. बलौदाबाजार	
	B.Com.- III- All Compulsory Subject	100	2011-12 से		
<p>निरीक्षण तिथि : 27.04.2016, 29.04.2016</p> <p>शासकीय महाविद्यालय लवन में अधोसंरचना संतोषजनक है सम्बद्धता हेतु शर्तों के अनुपालन पर अनुशंसित –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के 6 रिक्त पदों पर नियुक्ति करना। 2. एक लाख, पचास हजार रुपयों की पुस्तकें एवं रु. 50000/- मात्र के उपकरण क्रय करने की शर्तों की पूर्ति की शर्त पर निम्नानुसार सम्बद्धता हेतु विचार किया जा सकता है :- सत्र 2010-11, 2011-12 <ul style="list-style-type: none"> • बी.ए. आधार पाठ्यक्रम, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति, भूगोल सीट-100 • बी.एस-सी. – आधार पाठ्यक्रम, रसायन, वनस्पति, प्राणीशास्त्र, सीट-55 • बी.काम. – सभी अनिवार्य विषय, सीट-100 					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम एवं स्थापना वर्ष	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03.	पं. हरिशंकर शुक्ल महा. शंकर नगर, रायपुर (1994-95)	B.Sc.-II (Bio.)	40	2016-17	1. प्रो. के.के. घोष, रसायन अध्ययनशाला 2. डॉ. नमिता ब्रम्हे, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला 3. डॉ. अरविंद गिरोलकर, प्राचार्य, शास. दू.ब. महिला महावि. रायपुर
	आदेश क्र. 33/392 दिनांक 27.02.2016	B.Sc.-II (Maths)	40		
<p>निरीक्षण तिथि : 27.04.2016</p> <p>पं. रविशंकर महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 1112/अका./2016 रायपुर दिनांक 11.04.2016 के संदर्भ में दिनांक 27.04.2016 को निरीक्षण समिति के निम्नांकित सदस्यों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया।</p> <ol style="list-style-type: none"> i. डॉ. के.के. घोष आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर ii. डॉ. नमिता ब्रम्हे, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर iii. डॉ. अरविंद गिरोलकर, प्राचार्य, भौतिकी, शा. डी.बी. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर <p>निम्न संसाधनों की आवश्यकता पूर्ण करने पर B.Sc.-II के लिए 40 स्थान की स्वीकृति देने की समिति अनुशंसा करती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायन शास्त्र एवं भौतिकशास्त्र के प्रत्येक विषय में रु. 25000/- मात्र की अतिरिक्त पुस्तकें क्रय करने पर। 2. वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र के प्रत्येक के प्रयोगशाला हेतु रु. 25000/- मात्र के उपकरण क्रय करने पर। 3. महाविद्यालय में प्रयोगशाला कक्षा, लायब्रेरी कक्षा व्यवस्थित हैं। भवन, संसाधन उपलब्ध है। 4. वर्तमान में रसायन, भौतिकी, वनस्पति तथा प्राणी विज्ञान में तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं। 					

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में अथवा सत्र 2016-17 प्रारंभ होने के पूर्व नियुक्त करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम एवं स्थापना वर्ष	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04.	रुंगटा कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, गंजपारा, दुर्ग (2000-01)	B.Com.-III Computer Application BCA-III	70 60	2016-17	1. डॉ. एस.के. जाधव, आचार्य, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला 2. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, वि.वि. प्रबंध संस्थान 3. डॉ. ए.के. तिवारी, दिशा कालेज, रामनगर कोटा रायपुर
		B.Sc.-III- Biotechnolo gy - Additional Subject	55		

निरीक्षण तिथि : 17.05.2016

वि.वि. के पत्र क्रमांक 1110/अका./2016 दिनांक 11.04.2016 के संदर्भ में रुंगटा कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, दुर्ग का निरीक्षण, B.Com (Comp. Appl.), BCA, B.Sc. Extra Subject (Biotechnology) अन्तिम वर्ष हेतु किया।

1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। पुस्तकालय में छात्र अनुपात में पुस्तकें उपलब्ध है। Biotechnology की पुस्तकें छात्र अनुपात में क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
2. Computer पर्याप्त हैं लेकिन Licence Software क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
3. उक्त विषयों के लिये पूर्व में परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन वर्तमान में शिक्षकों एवं प्राचार्य की नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया है जो संलग्न है।
4. Lab में Equipment क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में अथवा सत्र 2016-17 प्रारंभ होने के पूर्व नियुक्त करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम एवं स्थापना वर्ष	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य .
05.	शांती बाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद्र (1993-94)	B.Ed.	50 (One Unit)	2016-17	1. डॉ. बशीर हसन, आचार्य, मनोविज्ञान अध्ययनशाला 2. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, आचार्य, वि.वि. प्रबंध संस्थान
		No. WRC/APW 02105/723077/229th/ B.Ed.-2015/ 149414- dat.- 29-07-2015			

Inspection Date - 12-05-2016

We inspected Shantri Bai Arts, Commerce and Science College, Mahasamund on 11.5.2016. The College has applied for running B.Ed. Course with 50 Seats.

Our observations are as follows:

1. The College has its own land of 26966 Sq. feet.
2. The Built up area of the building of the said college is 11302.5sq. ft. on first floor and 5102.5 ft. on second floor.
3. There are two big halls and all total 16 rooms in the college premises.
4. One Science Lab, one psychology lab, one E.,T. Lab, one craft room, one computer room with 17 systems with internet connection are available. There are separate common rooms for boy and girls.
5. There are arrangement of Indoor and outdoor games in the college beside one activity room.
6. Safe drinking water facility is available. Separate toilets for boys, Girls and staff are also available.
7. One Principal and 9 teachers were physically present. We talked them separately. They have shown their willingness to render their services to the institute, if affiliated. Their affidavits are enclosed in the file. Seven nonteaching staffs are also appointed there. The appointment of a temporarily principal has already been made.
8. The library of the college has 3608 books and 15 Journals and 2 news papers.
9. There is a separate music room in the college.

On the strength of the above observations the institution is eligible for affiliation.

निर्णय : एन.सी.टी.ई. भोपाल के आदेश क्र. No. WRC/APW 02105/723077/229th/ B.Ed.-2015/149414- dat.- 29-07-2015 के अनुसार महाविद्यालय को 1 बेसिक यूनिट (50 सीट) के साथ अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 से निम्न शर्तों के साथ प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है -

निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में अथवा सत्र 2016-17 प्रारंभ होने के पूर्व नियुक्त करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम एवं स्थापना वर्ष	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर	M.S.W.	सीट वृद्धि 05	2016-17	1. प्रो. आर.पी. दास, आचार्य, वि.वि. प्रबंध संस्थान 2. प्रो. प्रमोद कुमार शर्मा, समाजशास्त्र अध्ययनशाला
					आदेश क्र. एफ 17-52/2016/38-2 दिनांक : 30.01.2016

निरीक्षण तिथि : 01.06.2016

दिनांक 01.06.2016 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाये गये।

- 1) महाविद्यालय में 28 परिनियम के तहत प्राचार्य कार्यरत है तथा महाविद्यालय का अपना निजी भवन तथा अधोसंरचना पर्याप्त है।
- 2) M.S.W. पिछले वर्ष 20 सीट के साथ खोला गया। अध्यापन के लिए 28 परिनियम में सहायक प्राध्यापक कार्यरत नहीं है।
- 3) ग्रंथागार में समाजशास्त्र एवं समाज कार्य के कुल 221 पुस्तकें हैं। विषय से संबंधित कोई Journal नहीं है।
- 4) छात्र अनुपात में M.S.W. के प्रश्नपत्रानुसार अच्छी पुस्तकें हैं एवं रु. 20000/- की क्रय किये जाने की आवश्यकता है एवं 28 परिनियम में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों से अध्यापन कराने की आवश्यकता है।

<p>निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में अथवा सत्र 2016-17 प्रारंभ होने के पूर्व नियुक्त करें। शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।</p>

स्थायी सम्बद्धता हेतु प्रकरण

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम एवं स्थापना वर्ष	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
1.	रामचण्डी महावि. बगईजोर, सराइपाली	B.Com.	40	2016-17	1. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, शास. जी.एन.ए. महावि. भाटापारा 2. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, आचार्य, वि.वि. प्रबंध संस्थान 3. डॉ. डी.के. पाण्डेय, शास. महाविद्यालय, तिल्दा
<p>निरीक्षण तिथि : 03.05.2016 विश्वविद्यालय के आदेशानुसार रामचण्डी महाविद्यालय सराइपाली महासमुन्द में B.Com की अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया।</p> <p>1. महाविद्यालय में 2003-04 में 40 सीटों के साथ प्रथम बार सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। 2. सत्र 2012 में उ.शि. विभाग पत्र क्रमांक 1368/सा./2012/38-2 दिनांक मई 2012 में बी.काम. में 40 सीट वृद्धि की है अतः उक्त 40 सीट वृद्धि के पाँच साल पूर्ण नहीं हुए हैं। सत्र 2003-04 में प्रथम बार 40 सीट की अनुमति निरन्तर प्रदान की गयी है। अतः पाठ्यक्रम के संचालित हुए पाँच वर्ष से अधिक हो गया है। 3. महा. द्वारा समय-समय पर सहा. प्राध्यापक वाणिज्य की नियुक्ति परि.-28 के अन्तर्गत की गयी है। वर्तमान में परिनियम 28 के अन्तर्गत 03 सहा. प्राध्यापक कार्यरत है। 4. पुस्तकालय में छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तकें उपलब्ध है। महा. में कार्यकारिणी एवं प्रशासनिक समिति गठित है जिसकी बैठक समय-समय पर होती है। (मिनिट संलग्न) महावि. में नैक द्वारा मूल्यांकन नहीं कराया गया है एवं प्राचार्य परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त है। महा. के अधोसंरचना पर्याप्त है।</p>					
<p>निर्णय : निर्णय लिया गया कि रामचण्डी महाविद्यालय, बगईजोर, सराइपाली, जिला-महासमुन्द को B.Com. विषय में स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम एवं स्थापना वर्ष	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
2.	एम.जे. कालेज, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई	B.Ed.		2016-17	1. प्रो. सी.डी. अगाशे, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला 2. डॉ. एम. वाणी राव, अध्यक्ष, शिक्षा अध्ययन मण्डल मैत्री कालेज, रिसाली, भिलाई 3. प्रो. बशीर हसन, मनोविज्ञान अध्ययनशाला

Inspection Date - 10-04-2016

Report of the inspection team constituted for permanent affiliation status of M.J. College, Junwani, Bhilai. The inspection team visited the college on 10-04-2016 and observed the building and other amenities appraised by the College. The following observations were notified.

1. No joint endowment fund worth 35 lacks has been generated by the institution with the University.
 2. Apart from B.Ed., the college runs BCA, BBA, B.Com, B.Sc. BMA, PGDCA, DCA, DHT and M.Sc. course in the same infrastructure. No separate infrastructure allocated for B.Ed.
 3. Pay structure of Teaching and non teaching staff is not as per sixth pay commission norms.
- The above observations are submitted for taking decision regarding eligibility for Permanent affiliation status of M.J. College, Junwani, Bhilai.

निर्णय : निर्णय लिया गया कि एम.जे. कालेज, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई को B.Ed. विषय में स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

04. सहायक प्राध्यापकों/सहायक ग्रंथपाल/Asst. Director Physical Education के न्यूनतम योग्यता के लिये विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 4 में संशोधन पर विचार करना।

निर्णय : भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 मई 2016 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन 2016 (04.05.2016) के अनुसार शैक्षणिक पदों (Professor, Associate Professor, Assistance Professor, Assistant Librarian, Director Physical Education) पर नियुक्ति हेतु एवं CAS के लिये न्यूनतम योग्यता को विश्वविद्यालय अध्यादेश-4 की कंडिका 3.3 में उल्लेखित प्रावधान के तहत अंगीकृत करने की अनुशंसा की गई।

05. भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 मई 2016 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन 2016 के अनुसार शैक्षणिक पदों में नियमित नियुक्ति के लिये संशोधित/पुनरीक्षित विनियम 134 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 मई 2016 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन 2016 के अनुसार शैक्षणिक पदों में नियमित नियुक्ति के लिये संशोधित/पुनरीक्षित विनियम क्रमांक 134 का अनुमोदन किया गया।

06. भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 मई 2016 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन 2016 के अनुसार शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये संशोधित/पुनरीक्षित विनियम 122 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 मई 2016 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन 2016 के अनुसार शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये संशोधित/पुनरीक्षित विनियम 122 का अनुमोदन किया गया।

07. B.Voc Renewable Energy Technology & Management विषय के लिये परिनियम-10 के अंतर्गत अध्ययन मण्डल में शामिल किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : Renewable Energy Technology & Management (B.Voc) विषय को विज्ञान संकाय में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई।

08. सत्र 2015-16 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

शासकीय महाविद्यालय

1 शास. एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा, जिला-बालोद

अशासकीय महाविद्यालय

1 गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी 2014-15 एवं 2015-16

2 सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर

अशासकीय बी.एड. महाविद्यालय


1 रावतपुरा सरकार संस्थान, हॉलीडे रिसॉर्ट के पीछे, ग्राम-चोरहा, कुम्हारी, जिला-दुर्ग 2015-16


निर्णय : सत्र 2015-16 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

- (i) Regional Studies and Planning विषय को सामाजिक विज्ञान संकाय में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई।
- (ii) Women Studies विषय को सामाजिक विज्ञान संकाय में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई।
- परामर्श दायी प्रकोष्ठ (Consultancy Cell) के लिये प्रस्तावित विनियम का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 1445 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2016

रायपुर, दिनांक: 4/06/2016

प्रतिलिपि :-

- समस्त संकायाध्यक्षों को,
- उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
- वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1746/अका./वि.प.स्थायी समिति/2016

रायपुर, दिनांक 15/07/2016

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 15.07.2016 पूर्वाह्न 12.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

- | | | |
|----------------------------------|---|---------|
| 1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. शैलेन्द्र सराफ | - | सदस्य |
| 3. डॉ. रश्मि मिंज | - | सदस्य |
| 4. डॉ. अब्दुल अलीम खान | - | सदस्य |
| 5. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव | - | सचिव |
- अनुपस्थित सदस्य - डॉ. अमरकांत पाण्डेय

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त को सम्मूष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त की सम्मूष्टि की गई।
02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।
03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के समय में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसीवा, रायपुर (स्थापना वर्ष-1988-89)	M.A. (Final) Hindi	25	2016-17	1. डॉ. शैल शर्मा, आचार्य, साहित्य एवं भाषा अ.शा. 2. डॉ. आभा तिवारी, प्राचार्य, शास. महावि. पिथौरा
		M.Sc. (Final) Mathematics	15	2016-17	1. डॉ. सी.एल. देवांगन, प्राचार्य, शास. नवीन महावि. फिंगेश्वर
		M.A.-Prev.-2015-16			2. डॉ. अमिताभ बेनर्जी, प्राचार्य, शास. एस.एन महावि. नगरी

कार्यवृत्त - विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.07.2016

निरीक्षण तिथि : 05.07.2016 – एम.ए. अंतिम हिन्दी

1. आज दिनांक 05.07.2016 को शा. महावि. धरसीवा में एम.ए. हिन्दी (तृतीय सेमेस्टर) की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण किया गया।
2. हिन्दी विषय में ग्रंथों की संख्या यद्यपि उपयुक्त है, पर तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के लिए कुछ और पुस्तकों की आवश्यक है।
3. महावि. में साइंस एवं कला विषयों में हिन्दी विषय का अध्यापन होता है इसके अतिरिक्त एम.ए. में भी अध्ययन किया जा रहा है। इस हेतु अध्यापन के लिए कम से कम तीन और पदों की आवश्यकता है।

एम.एस.सी. अंतिम गणित

निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता हेतु अनुशंसा की जाती है :

1. विषय से सम्बन्धित संदर्भ ग्रंथों का क्रय किया जाये (कम से कम 50,000=00 रु.)
2. निर्धारित संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था की जाये। (कम से कम 3 सहायक प्राध्यापक एवं 1 प्राध्यापक)

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर (स्थापना वर्ष-2013-14)	B.Sc. -III F.C., Chemistry Maths, Physics	60	2015-16 से	1. प्रो. क.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला
	B.Sc. -I-2013-14 II-2014-15 B.A. -I-2013-14 II-2014-15 B.Com. -I-2013-14 II-2014-15	B.A. -III - Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., History	60	2015-16 से	2. डॉ. ए.के. शुक्ल, संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद
		B.Com.-III (Compulsory Subject)	60	2015-16 से	3. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे.सी. उच्चशिक्षण महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 02.07.2016

शर्तें -

1. महाविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करने।
2. ग्रंथालय में 50000/- की पुस्तकें एवं प्रयोगशाला हेतु एक लाख रुपयों के उपकरण क्रय करने।
3. विश्वविद्यालय के नियमों एवं आदेशों का पालन करने की शर्तों की पूर्ति की शर्त पर सत्र 2015-16 हेतु निम्नानुसार सम्बद्धता की पात्रता बनता है :-
(i) B.Sc.-III- (60 Seats) (F.C., Chemistry, Maths, Physics)
(ii) B.A.-III- (60 Seats) (Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., History)
(iii) B.Com.-III- (60 Seats) (Compulsory Subject)

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03	कोपल दाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय, पं. सुंदरलाल शर्मा स्कूल कैम्पस, सुंदर नगर, रायपुर (शासन का आदेश- 61/05/आउशि/अशै.प्र./2016 दि. 17.05.2016)	B.A.-II year (F.C. Drawing, Painting, Dance & Sociology)	30	2016-17	1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान एवं आचार्य अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. स्वप्निल कर्महे, शास. दू.व. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर 3. डॉ. प्रमोद शर्मा, आचार्य, समाजशास्त्र अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.A.-I-2016-17			
		कार्या.टीप - महाविद्यालय को प्रथम वर्ष की सम्बद्धता 2016-17 के लिए प्रदान की गई है।			

निरीक्षण तिथि : 01.07.2016
 वि.वि. के आदेश क्र. 1468/अका./2016 रायपुर दिनांक 10.06.2016 के तहत कोपलवाकी अरण्य गणित महाविद्यालय सुंदर नगर, रायपुर में बी.ए. द्वितीय वर्ष की अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण आज दिनांक 01.07.2016 को किया गया, जिसमें निम्न तथ्य पाये गये -

1. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है।
2. भवन किराये का है।
3. 28 परिनियम में शिक्षक नियुक्त नहीं है।
4. ग्रंथालय में पुस्तकें नहीं हैं।
5. 28 परिनियम के तहत सभी विषय में शिक्षक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है। ग्रंथालय में सभी विषयों के छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं का पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
 संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करे।
 परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करे।
 शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करे।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04.	दिशा लॉ कॉलेज, सत्यविहार विधानसभा, चंदखुरी मार्ग, रायपुर (स्थापना वर्ष-2014-15) B.A.LL.B-I-2014-15 II-2015-16 LLB-I-2014-15 II-2015-16	B.A.LL.B-III year LLB-III year	120 60	2016-17	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्यायनशाला 2. डॉ. विनीता अग्रवाल, शासकीय जे. आर्. आर. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर

निरीक्षण तिथि : 25.06.2016
 गठित निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 25.06.2016 को दिशा विधि महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया निरीक्षण समिति में प्रो. अ. अलीम खान तथा डॉ. विनीता अग्रवाल सदस्य थीं। निरीक्षण में पाया गया कि -

1. महाविद्यालय के पास पर्याप्त कक्ष-कक्षाएं हेतु एवं आवश्यक अधोसंरचना मौजूद है।
2. महाविद्यालय को वर्तमान में पर्याप्त पुस्तकें हैं पर उसकी संख्या में वृद्धि आवश्यक है सदस्यों को बताया गया कि AIR आदि के Backset खरीदे जाने का प्रस्ताव है।
3. परिनियम 28 के अनुसार प्राचार्य एवं विधि के शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
4. महाविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा समिति को बताया गया कि विधि शिक्षातिशिक्ष पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
5. महाविद्यालय को आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा सत्र 2016-17 पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
6. महाविद्यालय को आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा सत्र 2016-17 में स्नातक स्तर पर BALLB तृतीय वर्ष तथा LLB तृतीय वर्ष की अनुमति पत्र क्र. 32/393/आरशि/अशौप्र./2016 दिनांक 26.02.2016 द्वारा प्रदान कर दी गई है।

शर्त :-

1. पर्याप्त अधोसंरचना मौजूद है।
2. परिनियम 28 में प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
3. लाइब्रेरी को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।
4. B.C.I. की कोई शर्त हो तो उसे पूरा किया जाना आवश्यक है।

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, शमता कालानी, रायपुर (स्थापना वर्ष-2006-07)	B.Com. पूर्व सीट स -120 BBA पूर्व सीट स -120	30 सीट वृद्धि 30 सीट वृद्धि	2016-17	1. प्रो. आर.पी. दास, आचार्य, प्रबंध संस्थान पं.र.शु. वि.वि. रायपुर 2. प्रो. ए.के. पाण्डेय, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 3. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कुरुद 4. डॉ. डी.के. पाण्डेय, शास. महाविद्यालय, तिल्दा
शासन का आदेश क्र. एफ 17-21/2016/38-2 दिनांक 10.02.2016					

Inspection Date - 20-06-2016

- College has adequate infrastructure in terms of
 - Class Rooms
 - Computers
 - Library
 - Faculty
- The College has appointed 2 Faculty in Management & 3 more are appointed for BBA programme.
- In Commerce, they have 2 Faculty appointed under 28, for 3 more interview is to be held in the month of June, 2016.
However :
College should appoint :
 - 5 More faculty for BBA programme U/s 28.
 - 6 More faculty for B.Com U/s 28; and
 - Purchase Books worth Rs. 50,000/- each for commerce and management to meet the increase in seats in two courses.

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

04. सत्र 2016-17 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अध्ययन मण्डल के द्वारा अनुशंसित सत्र 2016-17 के लिए निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

कला संकाय

1	भाषा विज्ञान	4	कलासिक्स
2	दर्शन शास्त्र	5	अंग्रेजी
3	ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान	6	हिन्दी

संगीत एवं उर्दू विषय में अध्ययन मण्डल के सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

सामाजिक विज्ञान संकाय

1	राजनीति विज्ञान	5	अर्थशास्त्र
2	क्षेत्रीय अध्ययन	6	इतिहास
3	समाजशास्त्र	7	प्राचीन भारतीय इतिहास
4	मनोविज्ञान		

विज्ञान संकाय

1	सांख्यिकी	5	भूविज्ञान
2	इलेक्ट्रानिक्स	6	भौतिकी
3	भूगोल	7	रसायन
4	गणित	8	संगणक विज्ञान

जीव विज्ञान संकाय

1	मानव विज्ञान	4	बायोसाइंस
2	प्राणीशास्त्र	5	बायोटेक्नालॉजी
3	वनस्पति शास्त्र		

विधि संकाय

1 विधि

वाणिज्य संकाय

1 वाणिज्य

शिक्षा संकाय

1 शिक्षा

टेक्नोलॉजी संकाय

1 फार्मसी

गृह विज्ञान संकाय

1 होमसाइंस

प्रबंध संकाय

1 प्रबंध

शारीरिक शिक्षा संकाय

1 शारीरिक शिक्षा

05. सत्र 2016-17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

शासकीय महाविद्यालय

- 1 राजीव गांधी शास. महाविद्यालय, सिमगा, जिला- बलौदाबाजार 2015-16 एवं 2016-17
- 2 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर
- 3 स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला-महाराष्ट्र
- 4 शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला- बलौदाबाजार 2015-16 एवं 2016-17


- 5 चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला-महासमुंद
- 6 शास. दू.ब. स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर
- 7 शास. लालश्याम शाह कॉलेज, मानपुर जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) 2015-16
- 8 शास. प. श्यामा शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभाग जिला-गरियाबंद 2015-16
- 9 शास. वीर सुरेन्द्र साय कॉलेज, गरियाबंद जिला-गरियाबंद 2015-16
- 10 इंदिरा गांधी शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, जिला-दुर्ग 2015-16
- 11 स्व. ठाकुर महराज सिंह शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा 2014-15 एवं 2015-16
- 12 शास. स्व. छोटे लाल श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
- 13 शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर

अशासकीय महाविद्यालय

- 1 कालिंदी महाविद्यालय, स्वाती एजुकेशन सोसायटी, लालपुर, रायपुर (छ.ग.)
- 2 आर.क.एस. महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 3 आदर्श कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंज मंडी, रायपुर (छ.ग.)
- 4 सेंट्रल कॉलेज आफ इंफर्मेसन टेक्नोलॉजी, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
- 5 नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम-बेलभाटा, ब्याया-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 6 ग्रैसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)
- 7 प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु चौवे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
- 8 विकास शिक्षा महाविद्यालय, सी-191, देवपुरी, फुंडहर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
- 9 स्वामी अजय गुरुदेव इस्टीटयुट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम- मुडपार, पो.- खरोरा, तड.
- तिल्दा, जिला- रायपुर
- 10 दुर्गा महाविद्यालय, मांदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
- 11 महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समतल कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
- 12 श्री विरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, प्लॉट नं.-724/1, स्ट्रीट नं.-1, ग्राम+पोस्ट-जामगाँव,
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
- 13 दिशा कालेज आफ साइंस एंड कामर्स, प्लॉट नं.-788/1/2, 792/3, दिशा पार्क रामनगर,
कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
- 14 दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
- 15 इंडियन कालेज आफ एजुकेशन, स्टेशन रोड, महासमुंद (छ.ग.)
- 16 जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
- 17 पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
- 18 एस.के.टी.डी. विधि महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 19 महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
- 20 कला महाविद्यालय जी - जामगाँव, जिला-धमतरी
- 21 कला एव वाणिज्य कन्या महावि. देवेन्द्र नगर, रायपुर 2015-16
- 22 सनाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम-फरी, पोस्ट-विजभाटा,
जिला-बेमेतरा (छ.ग.) 2015-16
- 23 श्री रामेश्वर गहिरा गुरु सस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापारा, जशपुर

निर्णय : सत्र 2015-16 एवं सत्र 2016-17 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1850 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2016

रायपुर, दिनांक 28/07/2016

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 27.07.2016 अपरान्ह 03.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	-	सदस्य
3. डॉ. आर.पी. दास	-	सदस्य
4. डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
5. डॉ. शैल शर्मा	-	सदस्य
6. डॉ. राजीव चौधरी	-	सदस्य
7. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

अनुपस्थित सदस्य - डॉ. शैलेन्द्र सराफ, डॉ. अमरकांत पाण्डेय, डॉ. रश्मि मिश्रा

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम, सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	सी.आई.टी. विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, अमनपुर, नया रायपुर (B.Sc. I Maths Group, B.Sc. I Bio Group-2014-15)	B.Sc. II Year- <u>Maths Group-</u> Physics, Chemistry, Math	40	2016-17	1. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला 2. डॉ. एस.के. जाधव, बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला 3. प्रो. आर.एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला 4. डॉ. अमिताभ बनर्जी, प्राचार्य, शास. महा. रायपुर
		B.Sc. II Year- <u>Bio Group-</u> Chemistry, Botany, Zoology	40	2016-17	
निरीक्षण तिथि : 18.07.2016 -					
1. बी.एस.सी. भाग-II के गणित समूह एवं बायो समूह 40-40 छात्रों के लिये संवैधानिक रूप से प्रमाणित कक्षा के लिये पर्याप्त अधोसंरचना है।					
2. पुस्तकालय में पुस्तकें पर्याप्त हैं, कुछ पुस्तकों की और आवश्यकता होगी।					
3. धारा-28 में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है।					

कार्यवृत्त - विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	शास. नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा (B.A.LLB-I, II - 2014-15 & 2015-16)	B.A.LLB.-III - Integrated course (Five Year)	60	2016-17	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2. डॉ. विनीता अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक, विधि, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 19.07.2016

दिनांक 19.07.2016 को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया समिति ने पाया कि (1) महाविद्यालय के पास वर्तमान में कक्षाओं हेतु पर्याप्त अधोसंरचना है। (2) प्राचार्य द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय हेतु पृथक भवन का निर्माण ग्राम देवरी में किया जाना प्रस्तावित है जिस पर शासकीय स्तर पर कार्यवाही चल रहा है। शासन द्वारा विधि के 5 शिक्षकों का सेट-अप विभाग हेतु खोदत है। (3) महाविद्यालय में पर्याप्त पुस्तकें हैं। तृतीय वर्ष (जिसकी याचना हेतु महाविद्यालय में आवेदन किया था) उसकी पुस्तकें खरीदी जा चुकी हैं AIR Manual का सेट भी खरीदा जा चुका है। (IV) भविष्य में Moot Court की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका फर्नीचर वगैरह बनवाने की कार्यवाही चल रही है। (V) प्राचार्य द्वारा जानकारी गई कि समीप के गांवों में Legal Awareness Camp लगाना प्रस्तावित है जिसके द्वारा प्रयोगों को लोकोपयोगी अधिनियमों की जानकारी प्रदाय की जावेगी। (VI) कोर्ट के बाहर विवादित प्रकरणों के निपटारे तथा संबंधित पक्षकारों को समझाईश देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण में सहायक legal Aid Client का गठन भी महाविद्यालय द्वारा किया गया है BCI के प्रावधानों हेतु अनुसार इसका गठन कोर्ट में लम्बित प्रकरणों की संख्या कम करने के लिए आवश्यक है। समिति अनुशंसा करती है महाविद्यालय की BALLB-III year की सम्बद्धता 2016-17 के लिए प्रदान की जा सकती है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
07	शास. जे.योगानंदन छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर	LLB.-I st year LLB.-IInd year LLB.-IIIrd year	160	2016-17 2017-18 2018-19	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, वि.वि.प्रबंधन संस्थान 3. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अ.शा.

निरीक्षण तिथि :- 25.07.2016

वि.वि. पत्र क्रमांक 1722/अका./संबद्धता/2016 दिनांक 12.07.2016 के संदर्भ में LLB.-IIIrd year (2016-17, 2017-18, 2018-19) के लिये निरीक्षण किया।

1. Infrastructure पर्याप्त है। Library में पुस्तकें एवं जर्नल पर्याप्त है।
2. Moot Court के आधुनिकरण की आवश्यकता है।
3. Sanctioned post (07+01) के विरुद्ध केवल 04 शिक्षक कार्यरत है अंशकालिक शिक्षकों नियमानुसार Court के संदर्भ में Practical हेतु आवश्यकता।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर LLB कार्यक्रम को सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिये अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04.	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी-समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम-फरी, पो.-बीजमाटा, जिला-बेमेतरा (B.B.A -I,II, B.Com - I,II B.C.A.-I,II-- 2012-13, 2013-14)	B.B.A -III	30	2014-15	1. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, वि.वि. प्रबंधन संस्थान 2. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर 3. डॉ. ए.के. तिवारी, प्राचार्य विश्व. विद्या. लॉन्ग रामनगर, कोटा रोड, रायपुर
		B.Com. - III (Compulsory Subject with Computer Application)	30		
		B.C.A. - III	30		

निरीक्षण तिथि :- 02.07.2016

वि.वि. पत्र क्रमांक 1670/अका./2016 दिनांक 05.07.2016 के संदर्भ में निरीक्षण किया गया।

1. BBA-IIIrd year, B.C.A.-IIIrd year & B.Com. (Computer Application) सभी 30 सीट के लिये Infrastructure पर्याप्त है।
2. B.C.A.-IIIrd year & B.Com. (C.A.) के Computer Lab-40 No. के साथ उपलब्ध है लेकिन Licence Software लेने की आवश्यकता है।
3. Library में पुस्तकें छात्र/सीट सं. के अनुपात में क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
4. परिनियम 28 के तहत शिक्षक नहीं है लेकिन अन्य शिक्षक उपलब्ध है। परिनियम 28 के तहत नियुक्ति में विज्ञापन एवं अन्य कार्यवाही की गई है। (संलग्न है)

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें। शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	संत गुरु घासीदास शास. स्ना. महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी (M.Sc. Prev.- Mathematics M.A. Prev- Economics- 2015-16)	M.Sc Final- Mathematics	20	2016-17	1. डॉ. ए.के. पाठक आचार्य, नर्मदा विश्वविद्यालय 2. डॉ. अमितान बेनर्जी, शासकीय संस्कृत महा. नगरी-सिहावा 1. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, समाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. के.के. बिन्दल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर
		M.A. Final- Economics	25	2016-17	

निरीक्षण तिथि :- 18.07.2016

आज दिनांक 18.07.2016 को M.Sc. final, Mathematics (20 Seats) एवं M.A. third Semester. Economics (25 Seats) की सत्र 2016-17 में सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया तथा निम्न तथ्य पाये गये -

1. कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. M.Sc. Maths हेतु दो अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है।
3. M.A. Eco. में वर्तमान में कोई भी शिक्षक नहीं है, अतः 2 शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है।
4. महाविद्यालय में ग्रंथागार में विषय से संबंधित पर्याप्त पुस्तकें हैं।
5. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है जिसमें स्थायी प्राचार्य नियुक्त है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	शासकीय वीर सुरन्द्रसाय महाविद्यालय, गरियाबंद	M.A. Previous Economics	25	2016-17	1. प्रो. आर.पी. दास, प्रबंध संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 3. डॉ. विनोद कुमार जोशी, डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महावि. रायपुर
शासन का आदेश पृ. क्र. 3-35/2015/38-1 नया रायपुर, दिनांक 21.08.2015					
निरीक्षण तिथि :- 20.07.2016					
1. Building is used for collectorate purpose, So college classes are going on a school building. 2. One Assistant Professor is looking after the subject other Posts are vacant. 3. The atmosphere is not very encouraging for PG Class. 4. No. books in the library.					
निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					

03. परिनियम क्रमांक-14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद उपाधि प्रदान करने मानद उपाधि समिति की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : परिनियम क्रमांक-14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद उपाधि प्रदान करने के लिये पदम विमूषण डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर आयुका, पुणे को दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामयी बाईसवां दीक्षांत-समारोह में उनकी उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र में राष्ट्र के लिए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए डी.एस-सी. (विज्ञान संकाय) की मानद उपाधि प्रदान करने हेतु मानद उपाधि समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

04. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016-17 से प्रवेश मार्गदर्शिका के कड़िका के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3-33/2015/38-1 नया रायपुर, दिनांक 05.07.2016 के आदेशानुसार विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016-17 से निम्नलिखित विषय/पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि के लिए महाविद्यालयों से आवेदन प्राप्त कर, सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.	महाविद्यालयों का नाम	कक्षा/विषय	सीट वृद्धि संख्या
1	डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महावि., रायपुर, जिला-रायपुर	बी.एस.सी. (बायोलॉजी)	40
		बी.एस.सी. (गणित)	25
2	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नवापारा, जिला-रायपुर	डी.सी.ए.	10
		पी.जी.डी.सी.ए.	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	20
		बी.ए. प्रथम वर्ष	60

कार्यवृत्त - विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016

3	शासकीय महाविद्यालय, आरंग, जिला-रायपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	50
		बी.काम. प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. गणित प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. बायो समूह प्रथम वर्ष	25
4	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, जिला-रायपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (बायो)	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित)	10
5	शासकीय दू.ब. महिला पी.जी. महाविद्यालय, रायपुर, जिला-रायपुर	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष	15
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	5
		एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	5
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	5
		एम.एस.सी. फूड एंड न्यूट्रिशन	5
		पी.जी. डिप्लोमा इन डायग्नोस्टिक्स	10
		पी.जी.डी.सी.ए.	10
6	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर	एल.एल.एम.	10
		एम.ए. भूगोल	5
7	शासकीय दाउ कल्याण सिंह महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार	बी.ए. भाग-1	20
		बी.एस.सी. भाग 1 (बायोलाजी)	30
		बी.एस.सी. भाग 1 (गणित)	20
		बी.ए.सी. भाग 1 आई.टी.	5
		बी.काम. भाग 1	30
		एम.एस.सी. गणित	10
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	5
8	शासकीय महाविद्यालय, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार	बी.ए. भाग एक	20
		बी.ए.सी. भाग एक बायो.	20
9	शासकीय महाविद्यालय, कसडोल, जिला-बलौदाबाजार	बी.ए. प्रथम वर्ष	40
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो समूह	30
		बी.ए.सी. प्रथम वर्ष गणित	30
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	10
		एम.एस.सी. गणित	15
10	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय,	बी.ए. प्रथम वर्ष	40

	भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो समूह	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	30
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	10
		एम.एस.सी. गणित	15
11	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम, जिला- गरियाबंद	बी.एस.सी. बायो समूह प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. गणित समूह प्रथम वर्ष	20
		बी.ए. प्रथम वर्ष	60
		बी.कॉम प्रथम वर्ष	30
12	शासकीय महाविद्यालय, छुरा जिला- गरियाबंद	बी.ए. प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. बायो समूह प्रथम वर्ष	20
13	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कुरुद, जिला- धमतरी	बी.कॉम प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित)	40
		एम.ए. पूर्व भूगोल	10
		एम.एस.सी. पूर्व रसायन	10
		एम.एस.सी. पूर्व भौतिकी	10
14	शासकीय महाविद्यालय, भखारा जिला-धमतरी	बी.ए. प्रथम वर्ष	5
		बी.काम. प्रथम वर्ष	5
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	5
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	5
		पी.जी.डी.सी.ए.	5
		डी.सी.ए.	5
15	शासकीय महाविद्यालय, मगरलाड, जिला-धमतरी	बी.ए. प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	20
16	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी महा. महासमुंद, जिला-महासमुंद	बी.ए. प्रथम वर्ष	80
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	10
		बी.काम. प्रथम वर्ष	40
		एम.काम. प्रथम सेमेस्टर	10
		एम.एस.सी. रसायन प्रथम सेमे	5
		एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	5
		एम.ए. समाज शास्त्र प्रथम सेमे.	5
		एम.एस.सी. गणित	5
पी.जी.डी.सी.ए.	20		

		डी.सी.ए.	10
17	शासकीय महाविद्यालय, बसना, जिला-महासमुंद	बी.एस.सी. बायो प्रथम वर्ष	20
18	शासकीय महाविद्यालय सरायपाली, जिला-महासमुंद	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	15

05. यू.जी.सी. द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुवीक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना दिनांक 4 मई, 2016 अनुसार रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व इस विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त अथवा पंजीकृत उपाधि धारकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: यू.जी.सी. द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुवीक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना दिनांक 4 मई, 2016 अनुसार रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व इस विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त अथवा पंजीकृत उपाधि धारकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई एवं प्रमाणपत्र के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

06. सत्र 2015-16 एवं 2016-17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

शासकीय महाविद्यालय

2015-16

- 1 शास. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-रायपुर
- 2 शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग
- 3 शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर, कन्या महाविद्यालय दुर्ग

2016-17

- 4 शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद
- 5 शासकीय महाविद्यालय, गोदरा नवापारा, जिला-रायपुर
- 6 नवीन शास. कालेज भखारा, जिला-धमतरी
- 7 डॉ. राधा बाई, शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
- 8 शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला- बलौदाबाजार
- 9 शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला-गरियाबंद
- 10 शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी

अशासकीय महाविद्यालय

- 1 ओम श्री साई नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवा), जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोरामाटा, रायपुर (छ.ग.)
- 3 विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
- 4 कोलम्बिया कालेज, प्लॉट नं.-97, ग्राम-टेकारी, पो.आ.-मांडर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 493111
- 5 श्रीमती पी.जी. डाना कन्या महाविद्यालय, कचहरी चौक, रायपुर
- 6 सेंचुरी सिमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 7 दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट, स्टडिज, सत्यविहार, विधान सभा, चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
- 8 दिशा विधि महाविद्यालय, सत्य विहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, रायपुर
- 9 शिक्षा रनातक महाविद्यालय मांडर, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 10 कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लॉट नं. 2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

कार्यवृत्त - विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016

- 11 नदीन शास. कालेज भखारा, जिला-धमतरी
- 12 गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाडी रायपुर (छ.ग.)
- 13 गंगा लक्ष्मी नगर रायपुर (छ.ग.)
- 14 विद्यापीठ शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
- 15 विद्यापीठ महाविद्यालय, भानसांज, ब्याया-मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 16 इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
- 17 नानकचंद रंगेशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) (2015-16)

विर्णय : सत्र 2015-16 एवं सत्र 2016-17 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के साथ, सूची निम्नानुसार है -


महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महा. अभनपुर	PGDCA	40	2016-17	1. डॉ. अनिल तिवारी, प्राचार्य, दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर 2. डॉ. समीर ठक्कर, शासकीय नागार्जुन विज्ञान पीजी कालेज, रायपुर
	DCA	40	2016-17	

निरीक्षण तिथि : 26.07.2016 --

1. अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. प्रयोगशाला उपलब्ध है। (कम्प्यूटर प्रयोगशाला PGDCA/DCA हेतु)
3. कालेज में कुल 25 कम्प्यूटर उपलब्ध है।
4. 05 कम्प्यूटर की आवश्यकता है।
5. बीस हजार रुपये (20,000=00) की कम्प्यूटर से संबंधित किताबें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
6. नए कोर्स हेतु दो शिक्षकों एवं एक प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जावे।

विर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

1851 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2016

रायपुर, दिनांक: 28 / 07 / 2016

प्रतिनिधि :-

1. संसद सहायकों का
2. यु.स. गणनेय/परीक्षा
3. दिव्य नियंत्रक/अंकेक्षण
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रप्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

कार्यवृत्त - विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 2398 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2016

रायपुर, दिनांक 27/09/2016

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 20.09.2016 अपराह्न 03.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	-	सदस्य
3. डॉ. शैल शर्मा	-	सदस्य
4. डॉ. राजीव चौधरी	-	सदस्य
5. डॉ. जेड.टी. खान	-	सदस्य
6. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
7. डॉ. अमरकान्त पाण्डेय	-	सदस्य
8. डॉ. मोयना चक्रवर्ती	-	सदस्य
9. डॉ. विजय अग्रवाल	-	सदस्य
10. श्री धर्मेश कुमार साहू, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.07.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.07.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 एवं 27.07.2016 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 एवं 27.07.2016 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।
03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शास. महावि. सरायपाली, जिला-महासमुंद्र	M.Com. Final Year	25	2016-17	1. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंध संस्थान पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. डी.के. पाण्डेय, शास. महावि. तिल्दा 3. डॉ. अब्दुल करीम, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य

स्थापना वर्ष—1971-72. M.COM. P. 2015-16		महा. महासमुद्र			
निरीक्षण तिथि : 21.08.2016 – वि.वि. के पत्र क्रमांक 1971/अका./2016 दिनांक 12.08.2016 के संदर्भ में आज दिनांक 21.08.2016 को निरीक्षण किया एवं देखा। 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. M.Com. (final) में छात्र संख्या के अनुरूप पुस्तकें पर्याप्त हैं, लेकिन बदले गये पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है। 3. दो शिक्षक जन भागीदारी के तहत कार्य कर रहे हैं। शासन द्वारा पद स्वीकृति नहीं है यद्यपि प्राचार्य द्वारा शासन से मांग की गई है।					
निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महावि. नवापारा (राजिम)	B.Sc. Computer Sc.	20 सीट वृद्धि	2016-17	1. डॉ. संजय तिवारी, इलेक्ट्रॉनिक्स अध्ययनशाला 2. डॉ. समीर ठक्कर, शास. नागार्जुन स्ना. विज्ञान महावि. रायपुर
		स्थापना वर्ष—1993-94 छ.ग. शासन का आदेश क्र. 17-25/2016/ 38-2 दिनांक 30.01.2016			
निरीक्षण तिथि : 28.07.2016 विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 1819 दि. 23.07.2016 के परिपालन में गठित निरीक्षण समिति ने 28.07.2016 को अपराह्न 2:30 बजे सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा राजिम का निरीक्षण किया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत है : 1. महाविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर साइंस की अतिरिक्त 20 सीटों के लिए मांग के अनुरूप अध्यापन कक्ष पर्याप्त है। 2. महाविद्यालय में B.Sc. कम्प्यूटर साइंस के अतिरिक्त B.C.A. एवं P.G.D.C.A. पाठ्यक्रम संचालित है अतः वर्तमान पुस्तकों की अच्छी संख्या होने के बाद भी छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तकों की संख्या बढ़ानी होगी। 3. उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन व यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप कम्प्यूटर में शिक्षक अर्हता नहीं रखते व कोई भी NET/SLET या Regulation 2009 के अनुसार Ph.D. नहीं है। पाठ्यक्रम (3) के लिए शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है। 4. पाठ्यक्रमों की संख्या व छात्रों की संख्या (20 अतिरिक्त) के लिए कम्प्यूटर प्रयोगशाला में स्थान अपर्याप्त है तथा निर्माण कार्य चल रहा है। License Software अपर्याप्त है।					
निर्णय : सत्र 2016-17 के लिये उपरोक्त निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एवं महाविद्यालय को पूर्व में दी गई सम्बद्धता आदेश में दर्शित शर्तों की पूर्ति तीन माह के अंदर पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करने पर तत्पश्चात् उपरोक्त विषयों की सम्बद्धता पर विचार किया जावेगा।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03	पं. रामसखा उपाध्याय महाविद्यालय, एकता नगर, मुढियारी, रायपुर	B.C.A. D.C.A. P.G.D.C.A.	30 सीट वृद्धि 30 सीट वृद्धि 30 सीट वृद्धि	2016-17	1. प्रो. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स अ.शा. 2. डॉ. समीर ठक्कर, आचार्य, भौतिकी शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर
		स्थापना वर्ष—2005-06 छ.ग. शासन का आदेश पृ. क्र. 1847/1376/ 2012/ 38-2 दि 23.05.2012			

निरीक्षण तिथि :- 20.08.2016

विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 1881 दिनांक 01.08.2016 के परिपालन में दिनांक 20.08.2016 को अपराह्न 7:30 बजे समिति ने पं. रामसखा उपाध्याय कॉलेज, रायपुर का निरीक्षण किया तथा रिपोर्ट निम्नानुसार है -

1. महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सीट वृद्धि के लिए पर्याप्त अधोसंरचना है। प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार नवीन कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं में पर्याप्त कम्प्यूटर तथा फर्नीचर है।
2. महाविद्यालय के पास पाठ्यक्रमों के लिए पर्याप्त कम्प्यूटर की पुस्तकें हैं तथा नवीन पुस्तकों का क्रय प्रक्रिया चल रही है।
3. महाविद्यालय में College Code 28 के आधार पर कम्प्यूटर अध्यापन के लिए 02 शिक्षक नियमित हैं तथा 04 शिक्षक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं।
4. महाविद्यालय द्वारा Free open source Software install किये जा रहे हैं तथा license Software हैं तथा कुछ अन्य के क्रय का सुझाव दिया गया है।

निर्णय : सत्र 2016-17 के लिये उपरोक्त निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एवं महाविद्यालय को पूर्व में दी गई सम्बद्धता आदेश में दर्शित शर्तों की पूर्ति तीन माह के अंदर पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करने पर तत्पश्चात् उपरोक्त विषयों की सम्बद्धता पर विचार किया जावेगा।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04	शासकीय दू.ब.महिला (स्वशासी) स्नातकोत्तर महा. रायपुर	P.G. Diploma in Yog Education and Philosophy	20	2016-17	1. डॉ. भगवत सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष दर्शन एवं योग अध्ययनशाला 2. डॉ. राजीव चौधरी, संकायाध्यक्ष एवं आचार्य, शारीरिक शिक्षा, अध्ययनशाला
	स्थापना वर्ष-1957-58 छ.ग. शासन का आदेश क्र. एफ 3-34/2015 /38-1 दि. 05.07.2016	M.Sc. Final Year Physics (III & IV Sem.)	25	2016-17	1. डॉ. आर.सी. अग्रवाल, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. आर.एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि :- P.G. Diploma in Yog Education and Philosophy - 06.09.2016,

शास. दू.ब. महिला (स्वशासी) स्नातकोत्तर महा. रायपुर का योग में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निरीक्षण दिनांक 03.09.2016 को किया गया। महाविद्यालय में 02 बड़े हाल तथा फर्नीचर उपलब्ध हैं। शासन ने 20 सीटों का अनुमोदन किया है। अभी एक भी विद्यार्थी का प्रवेश नहीं हुआ है। महा. प्रदेश का प्रतिष्ठित संस्थान है एवं सुविधा सम्पन्न है। यह महा. योग शिक्षा एवं दर्शन में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालन के लिए पात्र है।

निरीक्षण तिथि :- M.Sc. Final. -14.09.2016

1. एम.एस.सी. भौतिकी के अध्यापन हेतु दो नियमित शिक्षकों
2. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है, मगर अलग-अलग क्लासरूम एवं प्रयोगशाला एम.एस.सी. के लिए व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
3. प्रयोगशाला में नये उपकरणों की अत्यंत आवश्यकता है।
4. विद्यार्थियों को WI-FI एवम् Internet सुविधाएं मुहैया कराने की निहायत जरूरत है।
5. पुस्तकालय में एम.एस.सी. भौतिकी के पाठ्यक्रम आधारित एवम् पाठ्यक्रम इत्तर पुस्तकों की अपर्याप्तता है जिसे क्रय करने की नितांत आवश्यकता है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर स्थापना वर्ष-1995-96 PREVIOUS- 2015-16	M.S.W. (Final Year) M.Com. (Final Year) B.B.A. -II Year	25 20 30	2016-17	1. डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, आचार्य, समाजशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, शासकीय जी.एन.ए. महावि. भाटापारा 3. डॉ. आशीष श्रीवास्तव, आचार्य, वि.वि. प्रबंधन संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
निरीक्षण तिथि :- 03.09.2016 वि.वि. का पत्र क्रमांक 2045/अका./2016 रायपुर दिनांक 19.03.2016 के तहत आज दिनांक 03.09.2016 को एम.एस.डब्ल्यू. (अंतिम वर्ष), एम.कॉम. (अंतिम वर्ष) एवं बी.बी.ए. (द्वितीय वर्ष) सत्र 2016-17 से अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया एवं देखा (i) महा. में अधोसंरचना पर्याप्त है। (ii) पुस्तकालय में उक्त पाठ्यक्रम हेतु छात्र अनुपात में और पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है। (iii) वाणिज्य विषय में परिनियम 28 के तहत 03 सहा. प्राध्यापक की नियुक्ति की गयी है एवं प्राचार्य परिनियम 28 के तहत नियुक्त है लेकिन बी.बी.ए. एवं एम.एस. डब्ल्यू. में परिनियम 28 के तहत सहा. प्राध्यापक नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता है।					
निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
06.	महर्षि दयानन्द संस्कृत कॉलेज, ग्राम-कोसरंगी, पो. -पचेडा, जिला-महासमुंद	शास्त्री प्रथम वर्ष	60	2016-17	1. डॉ. राम किशोर मिश्र, अध्यक्ष, प्राच्य संस्कृत अध्ययनमण्डल, एवं आचार्य, शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महावि. रायपुर 2. डॉ. शिवेश्वर उपाध्याय, आचार्य, शास. डी.एस. व्ही. संस्कृत महावि. रायपुर
छ.ग. शासन का आदेश क्र. एफ 17-64/ 2016/38-2 दिनांक 16.05. 2016					
निरीक्षण तिथि :- 03.09.2016 भाग-अ में दी गयी जानकारी का विधिवत् निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए सम्बद्धता प्रदान करने की पात्रता बनती है।					
निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 से परिनियम 27, 28 एवं विनियम 129 का पालन करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें। शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
07.	शास. राजीव लोचन महाविद्यालय, राजीम, जिला-गरियाबंद स्थापना वर्ष-1971-72 M.A. P.-2015-16	M.A. - Final Year -Hindi Lit.	25	2016-17	1. डॉ. अल्का श्रीवास्तव, प्राचार्य, शास. महाविद्यालय, गोबरा (नवापारा), जिला-रायपुर 2. प्रो. रमेश अनुपम, शास. दू.ब. महिला पीजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर

<p>निरीक्षण तिथि :- 14.09.2016 महाविद्यालय सन् 1972 से स्थापित एवं संचालित है। यहां कला, वाणिज्य एवं विज्ञान तीनों संकायों में अध्यापन कार्य होता है। हिंदी विषय में वर्तमान में 02 सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं। महाविद्यालय के ग्रंथालय में हिंदी साहित्य से संबंधित 5635 ग्रंथ हैं। कक्षा संचालन हेतु अध्यापन कक्ष उपलब्ध है। समिति सर्वसम्मति से संस्था को एम.ए. हिंदी के द्वितीय तथा तृतीय सेमेस्टर की सम्बद्धता हेतु पात्र मानती है।</p>					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
08.	शास. सुखराम नागे महावि. नगरी (सिहावा), जिला-धमतरी	PGDCA	30	2016-17	1. डॉ. आर.एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र. शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं.र. शु.वि.वि. रायपुर
<p>निरीक्षण तिथि : 17.09.2016 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. दो कम्प्यूटर शिक्षकों की नियमित नियुक्ति आवश्यकता है। 3. कम्प्यूटर Lab में कम्प्यूटर है। 5 और कम्प्यूटरों के क्रय करने की आवश्यकता है। 4. पाठ्यक्रम के अनुसार Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है। 5. Fast Internet की कम्प्यूटर प्रयोगशाला में आवश्यकता है। पुस्तकालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों को क्रय करने की आवश्यकता है।</p>					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					

04. शहीद स्मारक महाविद्यालय, रायपुर की सम्बद्धता वापस लिये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा शहीद स्मारक महाविद्यालय, रायपुर को बी.ए., बी.कॉम. एवं पी.जी.डी.सी.ए. की दी गई अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 से वापस लिये जाने की अनुशंसा की गई एवं सम्बद्धता वापस लिये जाने की सूचना से शासन को अवगत करावे।

05. MOOCs Courses through SWAYAM platform पाठ्यक्रम के संबंध में यू.जी.सी. का पत्र क्र. D.O.F.No. 1-100/2016(MOOCs/e-content) Date 27th July 2016 पर विचार करना।

निर्णय : MOOCs Courses through SWAYAM platform पाठ्यक्रम के संबंध में यू.जी.सी. का पत्र क्र. D.O.F.No. 1-100/2016(MOOCs/e-content) Date 27th July 2016 पर सहमति एवं सुझाव हेतु डॉ. शैलेन्द्र सराफ, आचार्य एवं अध्यक्ष, विश्वविद्यालय फार्मसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की अध्यक्षता में संकायाध्यक्षों की समिति गठित किये जाने की अनुशंसा की गई।

06. ADDITIONAL STATUTE NO. 1- CONVOCATION के संशोधन प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय : ADDITIONAL STATUTE NO. 1- CONVOCATION के संशोधन संबंधी प्रस्ताव समन्वय समिति में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।

07. यूजी.सी. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05 मई, 2016 - एम.फिल./पी-एच.डी. हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया, विनियम 2016 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : पी-एच.डी. हेतु वर्तमान में प्रचलित अध्यादेश-45 एवं अध्यादेश-52 में यूजी.सी. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05 मई, 2016 के अनुसार बिन्दु क्रमांक 2.2, 4.2, 4.4, 5.2.3, 9.4 पर संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति गठन की अनुशंसा की गई :-

- (1) डॉ. शैलेन्द्र सराफ, संकायाध्यक्ष, तकनीकी संकाय एवं अध्यक्ष, विश्वविद्यालय फार्मसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर - समन्वयक
- (2) डॉ. अमर कांत पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
- (3) डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय एवं अध्यक्ष, वि.वि. प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।

08. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य शोध पत्रों की सूची यूजी.सी. को प्रेषित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा मान्य शोध पत्रों की सूची विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला संकायाध्यक्ष के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय अकादमिक विभाग में प्रेषित करने की अनुशंसा की गई।

09. Regional Studies and Planning के स्थान पर Rural Development विषय को समाजिक विज्ञान संकाय में सम्मिलित करने पर विचार करना।

निर्णय : Regional Studies and Planning के स्थान पर Rural Development संशोधित कर समाजिक विज्ञान संकाय में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई।

10. सत्र 2015-16 एवं 2016-17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

शासकीय महाविद्यालय

1. शास. के.एल. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुंद
2. शास. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
3. शास. नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी
4. संत गुरुघासी दास शास. महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी (2015-16 एवं 2016-17)
5. शास. राजीव लोचन महाविद्यालय, राजीम, जिला-गरियाबंद
6. शास. बी.पी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, आरंग, जिला-रायपुर
7. शास. सुखराम नागे महाविद्यालय, सिहावा (नगरी), जिला-धमतरी
8. शास. स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय, सरायपाली, जिला-महासमुंद
9. शास. महाविद्यालय, लवन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
10. शास. राजमहंत नयन दास महिलांग महा., भटगांव, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (2015-16 एवं 2016-17)
11. शास. मिनिमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
12. शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर
13. शास. कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम), जिला-गरियाबंद

14. सत्य नारायण अग्रवाल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा), जिला-रायपुर
15. शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद
16. शास. जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

अशासकीय महाविद्यालय

1. काम्पटेक महाविद्यालय, सोरिद नगर, धमतरी
 2. अभ्युदय कालेज, चन्द्रखुरी फार्म, रायपुर
 3. नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर
 4. पं. रामसखा उपाध्याय महाविद्यालय, एकता नगर, गुढ़ियारी, रायपुर
 5. गुरुकुल इंस्टीट्यूट देवभोग रोड, गरियाबंद
 6. कांफ्लुएस कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव (2015-16)
 7. आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोपरा, जिला-गरियाबंद
 8. सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-1131/3, रिंग रोड नं.-3, ग्राम-तुलसी, रायपुर
 9. प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, माना रायपुर
 10. क्रुति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, चंद्रखुरी फार्म, रायपुर
 11. सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, कापा, रायपुर
 12. के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीर सावरकर नगर, अटारी, रायपुर
 13. गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी
 14. छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा, जिला-धमतरी
 15. वंदे मातरम महाविद्यालय, पुराना नूतन स्कूल, गणेश चौक, धमतरी
 16. रामचण्डी महाविद्यालय, बगईजोर, सरायपाली, जिला-महासमुंद
 17. श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-581, ग्राम-पचेडा, तह.-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
 18. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्राम-पचेडा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
 19. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, पचेडा, अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
 20. आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-483/1, पं.र.शु.वि.वि. जिम्नेशियम के सामने, डुमर तालाब, कांगेर वैली एकेडमी, रायपुर (छ.ग.)
 21. आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट छतौना, मंदिर हसौद, रायपुर (छ.ग.)
 22. रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम-धनेली, माना, रायपुर (छ.ग.)
 23. श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-129, ग्राम-धनेली, पो.-माना कैम्प, रायपुर (छ.ग.)
 24. कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम), जिला-गरियाबंद
 25. राम कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 94, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.)
 26. श्री राम कॉलेज, ग्राम व पो.-सारागांव, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- निर्णय : सत्र 2015-16 एवं सत्र 2016-17 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशांसा की जाती है।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, रायपुर	B.Sc.-II- Bio Group FC. Chemistry. Botony. Zoology.	50	2016-17	1. प्रो. के.के. घोष, रसायन अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. एस.के. जाधव, बायोटेक्नालॉजी, अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. प्रो. आरती परगनिहा, बायोसाइंस अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
<p>निरीक्षण तिथि : 06.09.2016 - वि.वि. के पत्र क्रमांक 2089/अका./सं./2016 दिनांक 26.08.2016 के अनुसार निरीक्षण किया गया 06.09.2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> कक्षाएँ प्रायोगिक कक्षाएँ, पुस्तकालय के लिये शाना.वि. महाविद्यालय का उपयोग किया जा रहा है। प्राध्यापक शासन द्वारा संविदा पर रखा जायेगा एवं शाना.वि. महा. के प्राध्यापक के द्वारा अध्यापन कराया जा रहा है। ग्राम अटारी में 14.5 एकड़ महाविद्यालय के लिये चिह्नित किया गया है। बी.एस.सी.- II के लिये सुविधायें पर्याप्त हैं। 					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 2399 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2016
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 27/09/2016

- समस्त संकायाध्यक्षों को,
- उ.कृ.स. गोपनीय/परीक्षा,
- वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 2914 / अंका. / वि.प.स्थायी समिति / 2016

रायपुर, दिनांक 23/11/2016

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 22.11.2016 अपराह्न 04.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	-	सदस्य
3. डॉ. अमरकान्त पाण्डेय	-	सदस्य
4. डॉ. शैल शर्मा	-	सदस्य
5. डॉ. राजीव चौधरी	-	सदस्य
6. डॉ. जेड.टी. खान	-	सदस्य
7. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
8. डॉ. मोयना चक्रवर्ती	-	सदस्य
9. डॉ. सी.एल. पटेल	-	सदस्य
10. श्री धर्मेश कुमार साहू, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 20.09.2016 के कार्यवृत्त को सम्पूर्ण प्रदान करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 20.09.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 20.09.2016 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 20.09.2016 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	संत गुरु घासीदास शास. स्ना. महावि. कुरुद, जि.-धमतरी	B.Sc. I - Computer Sc., Microbiology.	30	2016-17	1. डॉ. ए.के. गुप्ता, आचार्य, बायसाइस अध्ययनशाला, पं.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. आर.एन. बघेल, आचार्य, भौतिकी

स्थापना वर्ष- 1983-84 छ.ग. शासन का आदेश क्र. एफ 3-44/16/38-1 दिनांक 12.08.2016				अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर	
निरीक्षण तिथि : 08.10.2016 - Ref: Univ letter 2352/Acad/2016 dated 22-09-2016/ College: SGG Govt. PG College, Kurud. Date of Visit 08-10-2016. Observations: It is a Govt. PG College established in 1984 with its own building, library & other infrastructure. Laboratory facilities are inadequate and needs to be strengthened. Equipments for the Lab work need to be procured soon to run the classes. Internet facility for computer lab need to be strengthened. License software need to be purchased. Library has limited books on the subject & more books/copies need to be procured. One faculty each is working against sanction post temporarily from Janbhagidari of the college Qualified permanent faculty as per statute 28 is essentially required.					
निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	शास. कुंज बिहारी चौबे महावि. लाल बहादुर नगर	M.A. Prev.- Hindi Litt.,	25	2012-13	1. प्रो. व्यास नारायण दुबे, साहित्य एवं भाषा अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चंद्राकर, शासकीय व्ही.वाय. टी. स्नातकोत्तर महा. दुर्ग
		M.A. Final- Hindi Litt.,	25	2013-14	
स्थापना वर्ष- 1988-89		M.A. Prev - Political Science	25	2013-14	1. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल, प्राचार्य, शास. संस्कृत स्नातकोत्तर महावि. रायपुर 2. डॉ. (श्रीमती) अंजना ठाकुर, शास. दिग्विजय महावि. राजनांदगांव
		M.A. Final- Political Science	25	2014-15	
निरीक्षण तिथि : 16.08.2015 सम्बद्धता हेतु पात्रता है। शर्तें- (एम.ए. पूर्व एवं अंतिम वर्ष राजनीति शास्त्र) 1. राजनीति शास्त्र विभाग में 3 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने 2. राजनीतिशास्त्र विभाग हेतु 20 हजार रुपयों की पुस्तकें क्रय करने की शर्तों के पूर्ति की शर्त पर निम्नानुसार सम्बद्धता की पात्रता बनती है। 1. एम.ए. पूर्व राजनीति शास्त्र 2013-14 सीट 25 2. एम.ए. अंतिम राजनीति शास्त्र 2013-14 सीट 25 सम्बद्धता हेतु पात्रता है। शर्तें- (एम.ए. पूर्व एवं अंतिम वर्ष हिन्दी साहित्य) 1. हिन्दी विभाग में 3 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने 2. हिन्दी विभाग हेतु 20 हजार रुपयों की पुस्तकें क्रय करने की शर्तों के पूर्ति की शर्त पर निम्नानुसार सम्बद्धता की पात्रता बनती है :- 1. एम.ए. पूर्व हिन्दी 2013-14 सीट 25 2. एम.ए. अंतिम हिन्दी 2013-14 सीट 25					
निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03.	शासकीय महाविद्यालय, लवन, जि.-बलौदाबाजार- भाटापारा	B.Sc.-I-Maths Group- Mathematics. Physics	60	2016-17	1. डॉ. आर.एन. बघेल, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एस.के. भट्ट, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा. रायपुर
		M.A. Prev. Hindi	30	2016-17	1. डॉ. शैल शर्मा, आचार्य, साहित्य एवं भाषा, अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. मृदुला शुक्ला, शास. दा.क. महावि. बलौदाबाजार 3. डॉ. अनुसुईया अग्रवाल, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महावि. महासमुंद
<p>स्थापना वर्ष-2009-10 - B.Sc.-I Maths Group छ.ग. शासन का आदेश क्र. एफ 3-44/16/38-1 दिनांक 12.08.2016 M.A. Prev. Hindi छ.ग. शासन का आदेश पु. क्र. एफ 3-34/2015/38-1 दिनांक 27.07.2016</p>					
<p>निरीक्षण तिथि :- 06.10.2016 M.A. Prev. Hindi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय की संरचना - सही है। 2. एम.ए. पूर्व हिन्दी में प्रवेशित छात्र संख्या - 06 है। 3. कक्षाएं संचालन हेतु कक्ष - उपलब्ध है। 4. नियमित शिक्षक - 01 है। कार्यभार की अधिकता के कारण 01 नियमित शिक्षक की आवश्यकता है। यद्यपि जनभागीदारी से 01 शिक्षक नियुक्त है। 5. पाठ्यक्रम के अनुसार - पुस्तकें पर्याप्त है किंतु समीक्षात्मक ग्रंथों की आवश्यकता है। <p>निरीक्षण तिथि :- 07.10.2016 B.Sc.-I Maths Group</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महा. का स्वयं का भवन है जिसमें अध्यापन कक्ष एवं प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त जगह है। 2. भौतिक शास्त्र, गणित के सहा. प्राध्या. एवं प्रयोगशाला तकनीशियन तथा परिचारक का पद शासन द्वारा स्वीकृत है। 3. पुस्तकालय में पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें नहीं है। अतः पुस्तकालय हेतु रु. 50,000=00 एवं भौतिकशास्त्र उपकरण हेतु रु. 1.50 लाख स्वीकृत किया जाने की आवश्यकता है। 4. वर्तमान में भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय के अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। नियमित शिक्षक के नियुक्ति की आवश्यकता है। 					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04.	शास. दाऊ कल्याण सिंह कला एवं वाणिज्य महावि. बलौदाबाजार	B.Sc.-I- Biotechnology [Group-A Biotech.+Botany +Chemistry] [Group-B Biotech.+Zoolo gy+Chemistry]	30 (15+15)	2016-17	1. डॉ. एस.के. जाधव, आचार्य, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		<p>स्थापना वर्ष-1962-63- छ.ग. शासन का आदेश क्र. 38/11/आउशि/ योजना/16 दि. 17.08.2016</p>			
<p>निरीक्षण तिथि :- 18.10.2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय में बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (जैवप्रौद्योगिक विषय) (ग्रुप -A जैव प्रौद्यो.+वनस्पति+रसायन में 15 एवं ग्रुप-B जैव प्रौद्यो.+जन्तु विज्ञान+रसायन विज्ञान-15) इस दो समूहों में 15-15 अर्थात् कुल 30 सीट की पात्रता के लिये अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. शासन के नियम के तहत एक अतिथि व्याख्याता नियुक्त है। 3. पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें पूर्व में विद्यमान हैं एवं कुछ पुस्तकों की क्रय प्रक्रिया जारी है। 4. प्रायोगिक उपकरणों के क्रय करने का आदेश जारी किया जा चुका है, कुछ अन्य उपकरणों की आवश्यकता होगी। 					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	शास. बृजलाल वर्मा महावि. पलारी, जि. -बलौदाबाजार-भाट पारा	M.A. Final Year Political Sc.	25	2016-17	1. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. अशोक उपाध्याय, शास. डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार
स्थापना वर्ष-1988-89					
M.A. PREV. POL. SC. -2015-16					
निरीक्षण तिथि :-21.09.2016					
विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 2179/अका./सम्ब./2016 रायपुर दिनांक 01.09.2016 के तहत आज दिनांक 21. 09.2016 को शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी का निरीक्षण किया गया एवं निम्न तथ्य पाये गये :					
1. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है जिसमें उपलब्ध अधोसंरचना पर्याप्त है।					
2. महाविद्यालय में स्थायी प्राचार्य कार्यरत हैं। महाविद्यालय में 05 स्थायी एवं 03 अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। राजनीति विज्ञान विषय पर केवल एक ही सहायक प्राध्यापक कार्यरत है तथा एक प्रोफेसर का पद रिक्त है।					
3. विषय (राजनीति विज्ञान) से संबंधित पुस्तकों की संख्या पर्याप्त है।					
4. एक अतिरिक्त प्राध्यापक की आवश्यकता है।					
निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
06.	शांत्री बाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महावि. महासमुन्द	B.Sc. -II- (Computer Sc.) B.Sc. -III- (Computer Sc.)	30 30	2015-16 2016-17	1. डॉ. आर.एन. बघेल, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. ए.के. तिवारी, दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर
स्थापना वर्ष-1993-94					
उच्च शिक्षा संघ. का आदेश क्र. 73/20/आउशि/ अशै प्र./2016 दि. 09.08.2016					
B.Sc.-I Computer Sc.- 2009-10					
निरीक्षण तिथि :-07.10.2016					
The inspection of the college- Shantri Bai Art, Com. & Science College, Mahasamund for affiliation for B.Sc.-II & III (Computer Science) was accomplished on 07-10-2016 on the basis of that,					
1. The infrastructural facilities - Laboratory, Building, furnitures and Library are adequate for 30 students.					
2. There are two full time teacher with required qualification to teach. However, at least one teacher under statute-28 may be appointed.					
3. A few licensed software like, windows O.S., M.S. office, excel etc, may be procured.					
निर्णय : निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।					

कार्यवृत्त -- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.11.2016.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य												
07.	आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, डूमर तालाब, रायपुर	B.Com.-1 year Compulsory Sub. B.Com.-1 year Computer Appl. B.B.A.-1 year	40 30 40	2016-17	1. डॉ. भगवंत सिंह, आचार्य, दर्शनशास्त्र अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. प्रमोद कुमशर शर्मा, आचार्य, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, प्रबंधन संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 4. डॉ. अजनी कुमार शुक्ला, संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर												
छ.ग. शासन का आदेश क्र. एफ17-03/2016/38-2 दि. 16.09.2016																	
<p>निरीक्षण तिथि :-30.09.2016</p> <p>निरीक्षण समिति के द्वारा दिनांक 30.09.2016 को प्रस्तावित नवीन अशासकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, रायपुर, महानदी एजुकेशन सोसायटी के द्वारा संचालित किया जाना प्रस्तावित है। महानदी एजुकेशन सोसायटी एक पंजीकृत संस्था है। समिति के स्वामित्व में 9.086 एकड़ जमीन है (संलग्न)। सोसायटी की स्थापना 24.02.1994 को हुई थी। प्रस्तावित महाविद्यालय हेतु भवन का क्षेत्रफल 2633.55 वर्गमीटर है, 200 फर्नीचर उपलब्ध है, 46 कम्प्यूटर की व्यवस्था है, 03 डी.वी.डी. आडियो-विजुअल उपलब्ध है, ग्रंथालय हेतु 1200 वर्गफुट का कमरा उपलब्ध है तथा इण्डोर एवं आउटडोर गेम की सुविधा है। प्रस्तावित महाविद्यालय में कैंटीन, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, विद्युत, प्रेक्षागृह, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। महाविद्यालय ने 80,00,000/- रुपयों (अक्षरी- अस्सी लाख रुपये मात्र) का बैंक बैलेंस संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराया है। अधोसंरचना पर्याप्त है।</p> <p style="text-align: center;">-: शर्तें :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियम 27 एवं 28 का पालन करने। 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कायिक शुल्क की राशि तत्काल जमा करने। 3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के परिनियम 28 के तहत प्राचार्य, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति 03 माह के भीतर करने। 4. ग्रंथालय हेतु 2 लाख रुपयों की पुस्तकें क्रय करने। 5. अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करने। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की शर्त पर सत्र 2016-17 से निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दिए जाने हेतु विचार किया जा सकता है :-</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>क्रमांक</th> <th>कक्षा/विषय</th> <th>सीट संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>बी.कॉम. सभी अनिवार्य विषय</td> <td>40 सीट</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)</td> <td>30 सीट</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>बी.बी.ए. सभी अनिवार्य विषय</td> <td>40 सीट</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note - सम्बद्धता प्राप्त नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को सत्र 2016-17 में प्रवेश नहीं दिया गया है।</p>						क्रमांक	कक्षा/विषय	सीट संख्या	1	बी.कॉम. सभी अनिवार्य विषय	40 सीट	2	बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)	30 सीट	3	बी.बी.ए. सभी अनिवार्य विषय	40 सीट
क्रमांक	कक्षा/विषय	सीट संख्या															
1	बी.कॉम. सभी अनिवार्य विषय	40 सीट															
2	बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)	30 सीट															
3	बी.बी.ए. सभी अनिवार्य विषय	40 सीट															
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर सम्बद्धता सत्र 2017-18 से प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें। उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के लिए मार्च-अप्रैल 2017 को पुनः निरीक्षण किया जावे एवं शर्तों के पालन होने के पश्चात सत्र 2017-18 से मान्य होगी।</p>																	
08.	शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद	B.Sc. I - Math's, Physics	60	2016-17	1. डॉ. डी.पी. बिसेन, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. अमिताभ बेनर्जी, शास. सुखराम नारा महावि. नगरी (सिहावा), जिला-धमतरी												
स्थापना वर्ष-1983-84 उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्र. एफ 38/11/आउशि /योजना/16 दि. 17.08.2016																	

	<p>निरीक्षण तिथि :-12.11.2016 महाविद्यालय का नवीन भवन बनकर तैयार है एवं एक माह में महा. का नवीन भवन में स्थानांतरण प्रस्तावित है। सम्बद्धता हेतु शर्तें -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निर्धारित संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना/नियुक्ति। 2. छात्र संख्या के अनुपात में पाठ्यक्रमानुसार पुस्तकों का क्रय। 3. छात्र संख्या के अनुपात में प्रयोगशाला में उपकरणों का क्रय।
	<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>

04. (A) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रसारित उपाधि विशिष्टकरण 2014 (The Gazette of India, July 5, 2014) को स्वीकृत करने पर विचार करना।

(B) एम.एस.डब्ल्यू. एवं बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन) की उपाधि हेतु प्रारूप के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : (A) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रसारित उपाधि विशिष्टकरण 2014 (The Gazette of India, July 5, 2014) को स्वीकृत किया गया।

(B) एम.एस.डब्ल्यू. एवं बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन) की उपाधि हेतु प्रारूप का अनुशंसा किया गया।

05. सत्र 2016-17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

शासकीय महाविद्यालय

1. शासकीय पं.जे.एल.एन. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा सत्र 2015-16
2. शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलोदा, जिला-महासमुंद
3. इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया, जिला-कबीरधरम सत्र 2015-16
4. शासकीय महाविद्यालय, पाटन, जिला-दुर्ग सत्र 2015-16
5. शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद, जिला-महासमुंद
6. शास. स्व. डी.आर.एस. महाविद्यालय, कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
7. डॉ. राधा बाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर सत्र 2015-16

अशासकीय महाविद्यालय

1. सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियेरल एंड मेडिकल साइंसेस, रायपुर
2. सृष्टि कॉलेज ऑफ आई.टी. एंड मैनेजमेंट, जय स्तंभ चौक, रायपुर सत्र 2015-16 एवं 2016-17
3. श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासमुंद
4. अलशम्स इफोटेक कॉलेज, नगरी (सिहावा), जिला-धमतरी सत्र 2015-16 एवं 2016-17
5. क्रुति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, नरदहा, रायपुर सत्र 2015-16 एवं 2016-17
6. आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा, रायपुर



7. सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नयापारा (राजिम), जिला-रायपुर
8. प्रतिभा कॉलेज आफ एजुकेशन, ग्राम बालसी, सरायपाली, जिला-महासमुद

निर्णय : सत्र 2015-16 एवं सत्र 2016-17 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय


01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार	M.A. Final year, Hindi	25	2016-17	डॉ. एच.के. पाठक, आचार्य, गणित अ.शा. (समन्वयक) 1. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा, आचार्य, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला 2. डॉ. अनुसूइया अग्रवाल, शास. महाप्रभु बल्लभाचार्य महा. महासमुद
		B.Sc.-II- Home Sc.	60		डॉ. एच.के. पाठक, आचार्य, गणित अध्ययनशाला (समन्वयक) 1. डॉ. अरुणा पल्टा, प्राचार्य, डॉ. राधाबाई शास. नवीन कन्या महा. रायपुर 2. डॉ. वासुमती बघेल, डॉ. राधाबाई शास. नवीन कन्या महा. रायपुर
<p>आयुक्त उ.शि. का आदेश पृ. क्र. 198/169/आउशि/योजना/15 दिनांक 31.07.2015 (B.Sc. Home Sc.) छ.ग. शासन का आदेश पृ. क्र. एफ 3-35/2015/38-1 दिनांक 21.08.2015 (M.A. Hindi Final)</p> <p>निरीक्षण तिथि : 10.11.2016 -- प्रस्तावित पाठ्यक्रम - एम.ए. तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर हिन्दी</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वर्तमान में शिक्षकों की संख्या 03 है (01 नियमित + 02 जनभागीदारी) अब 01 प्राध्यापक एवं 03 सहा. प्राध्यापक की आवश्यकता है। 2. एम.ए. हिन्दी के 25 स्वीकृत सीट में सत्र 2015-16 में 10 सीट भरी गई है (IIIrd Sem) 3. पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकें और मंगाने की आवश्यकता है। 4. 01 अध्ययन कक्ष की आवश्यकता है। <p>B.Sc. (Home Sc.) II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. B.Sc. (Home Sc.) I में 60 सीट के विरुद्ध 48, B.Sc. (Home Sc.) II में 60 के विरुद्ध 28 छात्रए अध्ययनरत हैं। 2. ग्रंथालय में विषय की 947 पुस्तकें उपलब्ध हैं। नवीन पुस्तकें 50 हजार की क्रय करने की आवश्यकता है। 3. दो अतिरिक्त प्रयोगशाला कक्षों की नितांत आवश्यकता है। 4. चार पदों के विरुद्ध एक नियमित सहा. प्राध्यापक तथा दो अतिथि व्याख्याता कार्यरत। 5. प्रयोगशाला में एक लाख के उपकरणों की आवश्यकता है। <p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	दौलत राम शर्मा शासकीय महाविद्यालय, कसडोल	M.A. Prev. Geography	30	2016-17	1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. एन.के. बघमार, भूगोल अध्ययनशाला 3. डॉ. बी.पी. कश्यप, शास. दू.व. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
<p>छ.ग. शासन का आदेश पृ. क्र. एफ 3-34/2015/38-1 दि. 27.07.2016</p>					

<p>निरीक्षण तिथि : 12.11.2016 – विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 2581/अका./2016 रायपुर 17.10.2016 के तहत आज दिनांक 12.11.2016 को एम. ए. पूर्व भूगोल की सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया तथा निम्न तथ्य पाये गये –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है जिसमें स्थायी प्राचार्य नियुक्त है। 2. कक्षा एवं फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 3. भूगोल विषय हेतु केवल एक अस्थायी शिक्षक नियुक्त है। 4. भूगोल प्रायोगिक कार्य हेतु पर्याप्त संख्या में उपकरण उपलब्ध नहीं है। 5. पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। अतः 2 अतिरिक्त शिक्षक, 25000/- की पुस्तकें तथा आवश्यक एवं पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हेतु उपकरण क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 2915 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2016
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 23/11/2016

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 3269 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2017

रायपुर, दिनांक: 10/01/2017

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 10.01.2017 अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	—	सदस्य
3. डॉ. अमरकान्त पाण्डेय	—	सदस्य
4. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
5. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
6. डॉ. जेड.टी. खान	—	सदस्य
7. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
8. डॉ. विजय अग्रवाल	—	सदस्य
9. डॉ. मोयना चक्रवर्ती	—	सदस्य
10. डॉ. सी.एल. पटेल	—	सदस्य
11. श्री धर्मेश कुमार साहू, कुलसचिव	—	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.11.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.11.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.11.2016 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.11.2016 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।
03. नवम्बर के अंतिम सप्ताह 28 से 30 नवम्बर, 2016 को नैक द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया एवं विश्वविद्यालय को "A" Grade प्रदान किया गया। सम्माननीय सदस्यों का सूचनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय: नवम्बर के अंतिम सप्ताह 28 से 30 नवम्बर, 2016 को नैक द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया एवं विश्वविद्यालय को "A" Grade प्रदान किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।
04. विश्वविद्यालय की उपलब्धि "A" Grade को विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाली उपाधि में मुद्रण करने पर विचार किया जाने हेतु।
निर्णय: विश्वविद्यालय की उपलब्धि "A" Grade को विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाली उपाधि में मुद्रण करने पर विचार किया गया एवं पूर्व में मुद्रित उपाधि में सील एवं नये उपाधि में प्रिंटेड किया जाने की अनुशंसा की गई।

05. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	शासकीय बृजलाल वर्मा महावि. पलारी, जिला-बलौदाबाजार -भाटापारा	B.Sc. I - (Bio Group) - Chemistry, Botany, Zoology	60	2016-17	1. डॉ. आर.एन. बघेल, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. राजेश मिश्रा, शासकीय दाऊ कल्याण स्नातकोत्तर महावि. बलौदाबाजार
		B.Sc. I -(Maths Group) - Physics, Chemistry, Mathematics	60		
		PGDCA	25		
स्थापना वर्ष- 1988-89 छ.ग. शासन का आदेश क्र. एफ 3-44/16/38-1 दिनांक 12.08.2016					
निरीक्षण तिथि : 23.12.2016 - आज दिनांक 23.12.2016 को शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी का निरीक्षण किया गया है एवम् निम्न तथ्य पाये गये :-					
<ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय में बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो समूह एवम् गणित समूह में 60-60 सीट हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है साथ ही PGDCA के 25 सीट के लिए अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. नियमित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की अति आवश्यकता है जबकि अतिथि सहायक प्राध्यापकों की सेवा ली जा रही है। 3. पुस्तकालय में विज्ञान के पुस्तकों की नितांत आवश्यकता है क्योंकि ग्रंथालय में विज्ञान की पुस्तकों का पूर्णतः अभाव है। साथ ही कम्प्यूटर की किताबे लगभग रु. 20,000/- मूल्य की क्रय करना चाहिए। 4. प्रायोगिक उपकरण - भौतिकी, रसायन, वनस्पति एवम् प्राणी विज्ञान के उपकरण एवम् सामग्री का अभाव जिसकी तत्काल आवश्यकता है। PGDCA के सर्वथा नये लेब की व्यवस्था लगभग 10 सिस्टम के साथ करना आवश्यक है। 					
निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	शास. बद्रीप्रसाद कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महावि. आरंग, जिला-रायपुर	M.Sc. Prev. Maths	25	2016-17	1. डॉ. अमिताम बनर्जी, शास. महावि. नगरी-सिहावा, जिला-धमतरी 2. डॉ. वर्षा करंजगांवकर, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर
		M.Sc. Final (III & IV Sem.)- Zoology	25	2016-17	
		स्थापना वर्ष- 1988-89 M.Sc. Prev. Maths- छ.ग. शासन का आदेश क्र. एफ 3-11/16/38-1 दिनांक 07.09.2016 M.Sc. Final Zoology- छ.ग. शासन का आदेश क्र. एफ 3-35/2015/38-1 दिनांक 21.08.2015			
1. प्रो. आरती परगनिहा, बायोसाइंस अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर 2. डॉ. रेणु माहेश्वरी, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर					

<p>निरीक्षण तिथि : 26.11.2016 (एम.ए. पूर्व गणित) सम्बद्धता हेतु शर्तें -</p> <ol style="list-style-type: none"> स्वीकृत छात्र-संख्या के अनुपात में पुस्तकों का क्रय। स्वीकृत छात्र-संख्या के अनुपात में, शासन द्वारा स्वीकृत शिक्षकीय पदों पर पद स्थापना। <p>निरीक्षण तिथि : 07.12.2016 (एम.एस.सी. अंतिम प्राणीशास्त्र)</p> <ol style="list-style-type: none"> Government of CG has sanctioned one post of Professor for Zoology Department. However, more positions are essential. ICT facilities should be provided to the department immediately. Number of titles per student needs to be acsegmented in the library. Facilities for carrying out lab work should be expanded. 					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03.	शास. मिनीमाता कन्या महा. बलौदाबाजार	B.Sc. I-(Bio Group)- Chemistry, Botany, Zoology B.Sc. I -(Maths Group) Physics, Chemistry, Mathematics	60 60	2016-17	1. प्रो. एच.के. पाठक, गणित अध्ययनशाला, पं.र.शु. वि.वि. रायपुर 2. प्रो. के.के. घोष, रसायन अध्ययनशाला, पं.र.शु. वि.वि. रायपुर 3. डॉ. आरती परगनिहा, बायोसाइंस अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
<p>स्थापना वर्ष-1988-89 B.Sc.-I-Bio & Maths Group छ.ग. शासन का पत्र क्र. एफ 3-44/16/38-1 दिनांक 12.08.2016</p>					
<p>निरीक्षण तिथि :- 03.12.2016</p> <p>वि.वि. के पत्र क्र. 2579/अका./2016 दिनांक 17.10.2016 के संदर्भ में शास. मिनीमाता कन्या महा. बलौदाबाजार का निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 03.12.2016 को निरीक्षण किया गया और पाया कि :</p> <ol style="list-style-type: none"> बी.एस.सी.-पार्ट-1 बायो समूह-60 सीट एवं गणित समूह-60 सीट हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है किन्तु सभी प्रयोगशाला एवं एक ही कक्ष में संचालित है। विज्ञान विषय में महा. में नियमित प्राध्यापक-निरंक एवं अतिथि व्याख्याता-4 कार्यरत हैं समस्त प्रायोगिक कार्य शास.डी.के. स्नात. महा. बलौदाबाजार के सहयोग से किया जा रहा है। भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र एवं जीव विज्ञान की अलग-अलग प्रयोगशाला की स्थापना महा. में किया जाना आवश्यक है। लाइब्रेरी में पुस्तकें छात्र अनुपात में क्रय किये जाने की आवश्यकता है सिलेबस में वर्णित पाठ्यपुस्तकों के साथ Reference books का भी क्रय किया जाना आवश्यक है। 					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04.	नारायण राव मेघावाले शास. कन्या महाविद्यालय, धमतरी	B.Sc. I-(Bio Group)- Chemistry, Botany, Zoology B.Sc. I -(Maths Group) Physics, Chemistry, Mathematics	60 60	2016-17	1. डॉ. एस.के. जाधव, आचार्य, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एम.के. देव, रसायन अध्ययनशाला, पं.र.शु. वि.वि. रायपुर
<p>स्थापना वर्ष-1994-95 छ.ग. शासन का पत्र क्र. एफ 3-44/16/38-1 दिनांक 12.08.2016</p>					

<p>निरीक्षण तिथि :- 18.10.2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय में बायो एवं गणित समूह के 60-60 सीट के लिये पर्याप्त अधोसंरचना है। 2. छात्रों के लिये ग्रन्थालय में कुछ पुस्तकों की आवश्यकता और होगी। 3. प्रयोगशाला में उपकरणों की आवश्यकता होगी। 4. महाविद्यालय में शिक्षकों का पद स्वीकृत है जिस पर शासन द्वारा अतिथि प्राध्यापक कार्य कर रहे हैं। 					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर	B.B.A.-II year	40	2016-17	1. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, संचालक, प्रबंधन संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
<p>स्थापना वर्ष-1950-51 आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्र. 70/17/आउशि/अशै.प्र./2016 दि. 27.07.2016</p>					
<p>निरीक्षण तिथि :-05.12.2016 वि.वि. के आदेश क्रमांक 2918/अका./2016 दिनांक 25.11.2016 के संदर्भ में दिनांक 05.12.2016 को दुर्गा महाविद्यालय का निरीक्षण किया।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BBA-Ist year की मान्यता 2009-10 में वि.वि. द्वारा प्रदान की गई थी। पूछने पर बताया गया कि BBA-IInd year (III & IV) की पढ़ाई हेतु छात्र अन्य महाविद्यालय में Transfer लेते हैं। 2. BBA-IIst year (III & IV) हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है। 3. Library में पुस्तकें छात्र संख्या के अनुपात में BBA-IIIrd & IVth की क्रय करने की आवश्यकता है। 4. परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है, जिसे किया जाना है। 					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
06.	स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, आई.टी. बी.पी. रोड, ग्रा.-मुड़पार, पो.-खरोरा, तह.-तिल्दा, जि.-रायपुर	B.Sc.-II- Maths Group - (Physics, Maths, Chemistry) B.Sc.-II- Bio-Group- (Chemistry, Botany, Zoology) B.Com.-II- Compulsory Subject B.Com.-II- Computer Application-	40 40 40 40	2016-17	1. डॉ. आर.एन. बघेल, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. बी.एस. ठाकुर, गणित अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. (श्रीमती) आरती परगनिहा, बायोसाइंस अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 4. डॉ. विजय अग्रवाल, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महा. रायपुर
<p>स्थापना वर्ष-2015-16 आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्र. एफ 77/26/आउशि/अशै.प्र./2016 दि. 30.09.2016</p>					
<p>निरीक्षण तिथि :-07.10.2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. वर्तमान में अंशकालीन/संविदा शिक्षकों द्वारा अध्यापन कराया जा रहा है। परिनियम-28 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया हेतु वि.वि. से पत्राचार की जानकारी दी गई। 3. पुस्तकालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की 20 सेट पुस्तकें क्रय किया जाना चाहिए। 4. वर्तमान दर्ज संख्या के लिये प्रायोगिक सामग्री उपलब्ध है, परन्तु प्रस्तावित सीट के लिए प्रत्येक विषय के 20 प्रयोगों हेतु सामग्री क्रय किया जाना आवश्यक है। 					

<p>निर्णय : निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।</p> <p>परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
07.	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा (नवापारा), जिला-रायपुर	B.Sc.-I- Maths, Physics	60	2016-17	1. डॉ. डी.पी. बिसेन, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र. शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. बी.एस. ठाकुर, गणित अध्ययनशाला, पं.र. शु.वि.वि. रायपुर
<p>स्थापना वर्ष - 2009-10</p> <p>छ.ग. शासन का पत्र क्र. एफ 3-44/16/38-1</p> <p>दिनांक 12.08.2016</p> <p>निरीक्षण तिथि :- 15.12.2016</p> <p>1. भौतिकी प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य के लिए उपकरण अपर्याप्त है। लगभग 14 नवीन प्रयोग हेतु उपकरण क्रय किया जाना आवश्यक है।</p> <p>2. ग्रंथालय में पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें 30 सेट क्रय किया जाना आवश्यक है।</p>					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
08.	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़.	B.Sc. I-(Bio Group)-Chemistry, Botany, Zoology B.Sc. I -(Maths Group) Physics, Chemistry, Mathematics	60 60	2016-17	1. डॉ. एस.के. जाधव, आचार्य, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला, पं.र. शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. डी.पी. बिसेन, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र. शु.वि.वि. रायपुर
<p>स्थापना वर्ष-1988-89</p> <p>छ.ग. शासन का पत्र क्र. एफ 3-44/16/38-1</p> <p>दिनांक 12.08.2016</p> <p>निरीक्षण तिथि :- 28.12.2016</p> <p>1. महाविद्यालय में बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित एवं बायो समूह के लिये 60-60 छात्रों के लिये पर्याप्त अधोसंरचना है।</p> <p>2. छात्रों को पढ़ाने के लिये शासन द्वारा अतिथि व्याख्याताओं (सहा.प्रा.) की नियुक्ति की गई है।</p> <p>3. महाविद्यालय में प्रायोगिक कार्य के लिये उपकरणों की कमी है, वर्तमान में छात्र निकटस्थ महाविद्यालय में प्रायोगिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्रय की प्रक्रिया जारी है।</p> <p>4. महाविद्यालय में पुस्तकालय तो है लेकिन गणित और बायो समूह के पुस्तकों की कमियाँ हैं।</p>					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
09.	शास. वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय,	B.Sc. I-(Bio Group)- Chemistry, Botany, Zoology	60	2016-17	1. डॉ. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

गरियाबंद जिला-गरियाबंद	B.Sc. I -(Maths Group) Physics, Chemistry, Mathematics	60			2. डॉ. एस.के. चटर्जी, प्राचार्य, एन.आर.एम. शास. कन्या महावि. धमतरी 3. डॉ. रेणु माहेश्वरी, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर 4. डॉ. वर्षा करंजगांवकर, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर
स्थापना वर्ष-1983-84 छ.ग. शासन का पत्र क्र. एफ 3-44/16/38-1 दिनांक 12.08.2016					
निरीक्षण तिथि :- 02.01.2017					
आज निरीक्षण समिति द्वारा शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद का निरीक्षण दिनांक 02.01.2017 को बी.एस.सी. प्रथम वर्ष विज्ञान के सम्बद्धता हेतु किया गया।					
1. वर्तमान में महाविद्यालय, शासकीय बालक उ माध्य. विद्यालय गरियाबंद के 9 कमरों में संचालित है। महाविद्यालय के स्वयं का भवन में कलेक्टर कार्यालय संचालित है। कलेक्टर कार्यालय का नया भवन निर्मित होने के अंतिम चरण में है। अतिशोच महाविद्यालय अपने स्वयं के भवन में स्थानान्तरित होगा।					
2. महाविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक F-3-44/16/38-1 दिनांक 12.08.2016 द्वारा बी.एस.सी. पाठ्यक्रम हेतु सहायक प्राध्यापक के 5 प्रयोगशाला तकनीशियन के 2 तथा प्रयोगशाला परिचारक के दो पद स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में गणित भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र के 5 अतिथि व्याख्याता अध्यापन हेतु कार्यरत है।					
3. पुस्तकें एवं उपकरणों की क्रय प्रक्रिया जारी है तथा शासन द्वारा क्रय हेतु आबंटन किया गया है।					
निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
10.	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक, रायपुर	M.A. Final Year English (III & IV Semester)	25	2016-17	1. डॉ. शुक्ला बनर्जी, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर 4. डॉ. कल्पना पाल, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
स्थापना वर्ष-1998-99 आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्र. 95/29/आउशि/अशौ. प्र./2016 दिनांक 01.12.2016 M.A. Prev. English- 2015-16					
निरीक्षण तिथि :- 02.01.2017					
We visited Mahant Laxminarayan College on 2-1-2017 and found sufficient books of M.A. English in the library. To have below quality teaching there should be one more professor of English under section 28.					
निर्णय : निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
11.	गुरुकुल इंस्टीट्यूट, देवमोग रोड, गरियाबंद जिला-गरियाबंद	B.Sc.-III year F.C., Chemistry, Maths, Physics, Botany, Zoology B.C.A.-III year	30	2016-17	1. डॉ. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एस.के. चटर्जी, प्राचार्य, एन.आर.एम. शास. कन्या महावि. धमतरी 3. डॉ. रेणु माहेश्वरी, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर 4. डॉ. वर्षा करंजगांवकर, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर
स्थापना वर्ष-2007-08 आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्र. 68/15/आउशि/अशौ. प्र./2016 दिनांक 22.07.2016 B.Sc.-II, B.C.A.-II- 2008-09					

<p>निरीक्षण तिथि :- 02.01.2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. गुरुकुल इंस्टीट्यूट गरियाबन्द महाविद्यालय की अधोसंरचना बी.एस.सी. पार्ट-3 की सम्बद्धता के लिये पर्याप्त है। 2. गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणीविज्ञान के अध्ययन हेतु शिक्षक हैं। परन्तु कॉलेज कोड-28 के तहत नियुक्त नहीं है। 3. महाविद्यालय में प्रयोगशाला है परन्तु उपकरण पर्याप्त संख्या में नहीं है। उपकरणों एवं कच्चे माल की क्रय प्रक्रिया जारी है। 4. महाविद्यालय में ग्रंथालय है किन्तु बी.एस.सी. तृतीय वर्ष के लिये पुस्तकें पर्याप्त नहीं हैं। पुस्तकों की क्रय प्रक्रिया जारी है। 5. महाविद्यालय में बी.सी.ए. तृतीय वर्ष के अस्थायी सम्बद्धता हेतु पर्याप्त अधोसंरचना, कम्प्यूटर लैब, पुस्तकें एवं शिक्षक उपलब्ध है। लाइसेंस साफ्टवेयर क्रय की आवश्यकता है। 					
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
12.	रामचण्डी महावि., बगईजोर, सरायपाली, जि. -महासमुंद	B.Ed.	50	2016-17	1. डॉ. बशीर हसन, आचार्य, मर्नोविज्ञान अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. राजीव चौधरी, आचार्य शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
<p>स्थापना वर्ष-2003-04 NCTE Recognisatio order no. WRC/APP3265 (B.Ed.)/261/CG/2016/175555 Date - 04-11-2016</p>					
<p>निरीक्षण तिथि :- 04.01.2017</p> <p>द्विवर्षीय बी.एड्. पाठ्यक्रम (एक यूनिट-50 छात्र संख्या) के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता देने हेतु दिनांक 29.12.2016 को रामचण्डी महाविद्यालय, बगईजोर, सरायपाली का निरीक्षण किया गया निरीक्षण प्रतिवेदन भाग 'अ' में दी गई जानकारीयों का सत्यापन किया गया। जानकारीयों सही पाईं। महाविद्यालय में बी.एड्. पाठ्यक्रम (50 सीट) के लिए विश्वविद्यालय एवं NCTE Regulation 2014 (परिशिष्ट-4) में दिए गए मापदण्डों के अनुरूप उचित व्यवस्था की गई है। महाविद्यालय को द्विवर्षीय बी.एड्. कोर्स (50 सीट के साथ) संचालित करने के लिये अस्थायी सम्बद्धता हेतु पात्र पाया गया।</p>					
<p>रामचण्डी महावि., बगईजोर, सरायपाली, जि.-महासमुंद (छ.ग.) को सत्र 2016-17 से बी.एड् 50 सीट प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदानुसार एवं एन.सी.टी.ई. भोपाल के NCTE Recognisatio order no. WRC/APP3265 (B.Ed.)/261/CG/2016/175555 Date - 04-11-2016 बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 03 माह तक पूर्ण करें। 2. ग्रंथालय में पर्याप्त संख्या में संबंधित विषय की पुस्तकें क्रय की जाए। 3. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। उक्त शर्तें पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ली जावे। 					

06. स्नातक स्तर में पर्यावरण अध्ययन प्रश्न पत्र उत्तीर्ण न कर, बाद के शैक्षणिक सत्र में पर्यावरण अध्ययन प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करने पर उपाधि-वर्ष का निर्धारण करने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय:** स्नातक स्तर में पर्यावरण अध्ययन प्रश्न पत्र उत्तीर्ण न कर, बाद के शैक्षणिक सत्र में पर्यावरण अध्ययन प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करने पर उपाधि-वर्ष का निर्धारण करने के संबंध में विचार कर निर्णय लिया गया कि डिग्री उत्तीर्ण होने की तिथि से दिया जावे, किन्तु जारी वर्तमान तिथि से दिये जाने की अनुशंसा की गई एवं यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में इसे उदाहरण न माना जावे।
07. निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु विनियम 129 की कड़िका 5 पर विचार करना।
1. शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय, महासमुंद
 2. शास. स्व. सी.एल.एस. पीजी महाविद्यालय, धमतरी
 3. शास. एन.आर.एम. कन्या महाविद्यालय, धमतरी
 4. शास. माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद
 5. शास. कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम), जिला-गरियाबंद
 6. शास. पं. श्याम शंकर मिश्र महावि. देवभोग, जिला-गरियाबंद
 7. नवीन शास. महाविद्यालय, भखारा, जिला-धमतरी
 8. शास. महाविद्यालय, लवन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
 9. शास. महाविद्यालय, गोबर (नवापारा), जिला-रायपुर
 10. शास. महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी
 11. डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
- निर्णय:** स्थायी सम्बद्धता के निर्धारित प्रक्रियाओं का पूर्णतः पालन करते हुए कार्यवाही की अनुशंसा की गई।
08. एन.सी.सी. विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के लिए यू.जी.सी. का पत्र **D.O.No.F. 14-25/2016 (CPP-II) 11th November, 2016** पर विचार करना।
- निर्णय:** एन.सी.सी. विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के संबंध में विचार किया गया प्रकरण केन्द्रीय अध्ययन मण्डल में रखे जाने हेतु आयुक्त को पत्र लिखा जावे।
09. भारत के राजपत्र दिनांक 05 मई, 2016 में वि.वि. अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित पी-एच.डी. / एम.फिल. नोटिफिकेशन के अनुसार अध्यादेश क्रमांक-45 एवं 52 में संशोधन किये जाने के संबंध में विचार करना।
10. भारत के राजपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2016 में प्रकाशित वि.वि. अनुदान आयोग द्वारा ए.पी.आई. स्कोर के लिये चतुर्थ संशोधन प्रस्तावित किया है, जिसके अनुसार IQAC Cell से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार वि.वि. के रेगुलेशन 134 के Appendix में आवश्यक संशोधन करना।
11. पुनःपुनर्मूल्यांकन/पैनल मूल्यांकन हेतु प्रावधान में संशोधन करने बाबत।
12. पुनर्मूल्यांकन अंतर्गत 05 प्रतिशत अंतर को मान्य करने बाबत।
- निर्णय:** बिन्दु क्रमांक 09 से 12 के प्रकरण पर चर्चा करते हुए निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :-
1. डॉ. ए.के. पति, प्राध्यापक, बायोसाइंस अध्ययनशाला (समन्वयक)
 2. डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्राध्यापक, फार्मसी संस्थान
 3. डॉ. ए.के. गुप्ता, प्राध्यापक, बायोसाइंस अध्ययनशाला
 4. डॉ. एस.के. जाधव, प्राध्यापक, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला
 5. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान
- समिति के परीक्षण पश्चात् निर्णय हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।

13. सत्र 2016-17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

शासकीय महाविद्यालय

1. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
2. नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर, जिला-गरियाबंद (सत्र 2015-16 एवं 2016-17)
3. शासकीय वीर सुरेन्द्रसाय महावि. गरियाबंद
4. शासकीय मॉडल कॉलेज, रायपुर

अशासकीय महाविद्यालय

1. शाम्भवी स्कूल ऑफ एजुकेशन देवरभाटा, ग्राम-धुसेरा, पो.-अभनपुर,
2. स्पेक्ट्रम कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम+पो.-नरदहा, तह.-आरंग, जिला-रायपुर

निर्णय : सत्र 2016-17 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

14. राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 643/VC/SPC दिनांक 22.12.2016 पर विचार किया गया एवं विश्वविद्यालय के सभी विभागों एवं संबंधित सम्बद्ध महाविद्यालयों को इस आशय के साथ कि Part Time Consultant के रूप में जुड़कर सहयोग करने हेतु पत्र लिखे जाने की अनुशंसा की गई।
15. नेशनल रिसर्च डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली के पत्र क्र. NRDCHQ/UIFC/2016, 22 दिसम्बर 2016 के पत्र पर विचार करते हुए "Programme for Inspiring Inventors and Innovators" प्रस्ताव भेजे जाने हेतु सभी साइंस से संबंधित विभागों को पत्र लिखे जाने की अनुशंसा की गई।
16. यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित एक्सल फार्मेट में जर्नल की सूची तैयार करने हेतु चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि संकायाध्यक्षों एवं समस्त अध्ययन मण्डल के अध्यक्षों की बैठक आयोजित किया जावे ताकि यू.जी.सी. के निर्देशानुसार जर्नल की सूची को अंतिम रूप दिया जा सके।
17. सूचना के अधिकार के तहत उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विचार किया गया एवं निम्नानुसार समिति गठन करने की अनुशंसा की गई -
 1. डॉ. ए.के. गुप्ता, प्राध्यापक, बायोसाइंस अध्ययनशाला
 2. डॉ. एस.के. जाधव, प्राध्यापक, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला
 3. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान
 4. उप कुलसचिव, गोपनीय विभाग
 5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा विभाग
 6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलसचिव
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3270 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2017

रायपुर, दिनांक: 10/01/2017

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


प्रमुख कुलसचिव (अका.)

प्रपत्र - दो

1. विश्वविद्यालय का नाम
2. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम क्रमांक
3. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम का नाम

: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
: अध्यादेश क्र. - 06, भाग - 5, कडिका 26(3)
: अध्यादेश क्र. - 06

Examinations (General) Refer clause (iii) of section 37)
Part - 5 - General conditions applicable to all candidates
Clause - 26 - provisions regarding Revaluation of answer books

4. अनुशंसा के प्राधिकारी का नाम एवं अनुशंसा की तिथि धारा 52 (4) की स्थिति में


: मान. उच्च शिक्षा मंत्री, छ.ग. शासन, मंत्रालय
(प्रमुख सचिव महोदय का पत्र क्र. 9623/2016/38-2, रायपुर, दिनांक 07.12.16)

कुलपति द्वारा अनुशंसा की तिथि

: 02.02.2017

वि.वि. अधिनियम / अध्यादेश / परिनियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
विनियम क्र. -- (अध्यादेश क्र. - 06, भाग - 5, कडिका 26 (3)) (माननीय समन्वय समिति की 09वीं बैठक में अनुमोदनानुसार अधिसूचना क्रमांक 1508/अका./2005, रायपुर, दिनांक 29.06.2005 द्वारा आंशिक संशोधन)	If marks awarded in the paper by any of the two revaluers is higher than from the marks given by the original examiner by more than 10 maximum marks in the paper, the average of the awarded by the two nearest examiners shall be taken to represent the correct valuation. This average of marks shall be awarded to the candidate for the vision of his result. अधिसूचना क्रमांक 1508/अका./2005, रायपुर, दिनांक 29.06.2005 (पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में कम हुए प्राप्तांकों के बराबर उसके प्राप्तांक माने जायेंगे।)	If marks awarded in the paper by any of the two revaluers is higher / lower than from the marks given by the original examiner by 05% or more of maximum marks in the paper, the average of the two nearest awarded marks by the examiners shall be taken to represent the correct valuation. This average of marks shall be awarded to the candidate for the revision of his/her result. The above provision shall be relaxed for even less than 5% of maximum marks if and only if the result status of the student in the concerned subject changes from fail to pass by awarding the average of the two nearest marks awarded by the examiners. For this part of relaxed norms the marks obtained in other complementary question papers of the same subject shall also be considered to prepare the result of revaluation. * (The word complementary in this context refers to those question papers which are being part of a particular subject , the marks obtained in these question papers are collectively taken into account to pass the concerned subject.) ** Illustrations attached as per - Annexure (A)	छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के निर्देशानुसार (प्रमुख सचिव महोदय, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 9623/2016/38-2, रायपुर, दिनांक 07.12.16

पुनर्मूल्यांकन से संबंधित शेष प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।


कुलसचिव 02/02/2017

****Illustrations:-****Annexure-A**

Some illustrative examples of marks awarded after Revaluation (as per proposed norms)

Question Paper	Max. Marks	5% of M.M.	Mini. Marks (to Pass)	Original Marks (V-1) (Examiner-1)	Marks (V2) (Examiner-2)	Marks (V3) (Examiner-3)	Marks After Reval (Final Marks Awarded as per provisions)
A.	100	05	33	40	44	38	No Change
B.	100	05	33	31	33	34	34 (Relaxed norms. Avg. Of 33 & 34 rounded off)
C.	100	05	33	45	40	42	41 (Avg. 40 & 42)
D.	75	3.75	26	26	24	30	25 (Avg. 26 & 24)
E.	150	7.5	50	46	48	54	47 (Avg. of 46 & 48)
F.	150	7.5	50	47	49	49	No Change
G.	150	7.5	50	48	51	50	51 (Relaxed norms Avg. of 50 & 51 rounded off)
H.	150	7.5	50	48	49	51	No Change
I.	75	3.75	26	24	27	21	26 (Relaxed norms. Avg. Of 24 & 27 rounded off)
J.	75	3.75	26	24	26	25	26 (Relaxed norms. Avg. Of 26 & 25 rounded off)

प्रतिवेदन

पुनर्मूल्यांकन अंतर्गत 05 प्रतिशत अंतर को भी मान्य करने बाबत।

औचित्य :- छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के निर्देशानुसार (प्रमुख सचिव महोदय, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 9623/2016/38-2, रायपुर, दिनांक 07.12.16)

संबंधित अध्यादेश :- क्र. - 06, भाग - 5, कंडिका 26 (3)

अध्यादेश का नाम :- Examinations (General) Refer clause (iii) of section 37), Part - 5 - General conditions applicable to all candidates, Clause - 26 - provisions regarding Revaluation of answer books.
(माननीय समन्वय समिति की 09वीं बैठक में अनुमोदनानुसार अधिसूचना क्रमांक 1508/अका./2005, रायपुर, दिनांक 29.06.2005 द्वारा आंशिक संशोधन)

वर्तमान प्रावधान :-

If marks awarded in the paper by any of the two revaluers is **higher** than from the marks given by the original examiner by **more than 10 maximum** marks in the paper, the average of the awarded by the two nearest examiners shall be taken to represent the correct valuation. This average of marks shall be awarded to the candidate for the vision of his result.

अधिसूचना क्रमांक 1508/अका./2005, रायपुर, दिनांक 29.06.2005 (पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में कम हुए प्राप्तांकों के बराबर उसके प्राप्तांक माने जायेंगे।)

प्रस्तावित संशोधन :-


If marks awarded in the paper by any of the two revaluers is **higher / lower** than from the marks given by the original examiner by **05% or more of maximum** marks in the paper, the average of the two nearest awarded marks by the examiners shall be taken to represent the correct valuation. This average of marks shall be awarded to the candidate for the revision of his/her result.


The above provision shall be relaxed for even less than 5% of maximum marks if and only if the result status of the student in the concerned subject changes from fail to pass by awarding the average of the two nearest marks awarded by the examiners. For this part of relaxed norms the marks obtained in other complementary question papers of the same subject shall also be considered to prepare the result of revaluation.

* (The word complementary in this context refers to those question papers which are being part of a particular subject, the marks obtained in these question papers are collectively taken into account to pass the concerned subject.)


** Illustrations attached as per - Annexure (A)


पुनर्मूल्यांकन से संबंधित शेष प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।


(डॉ. ए.के. पति)
समन्वयक


(डॉ. शैलेंद्र सराफ)
सदस्य

(डॉ. ए.के. गुप्ता)
सदस्य


(डॉ. एस.के. जाधव)
सदस्य


(डॉ. ए.के. श्रीवास्तव)
सदस्य

****Illustrations:-****Annexure-A****Some illustrative examples of marks awarded after Revaluation (as per proposed norms)**

Question Paper	Max. Marks	5% of M.M.	Mini. Marks (to Pass)	Original Marks (V-1) (Examiner-1)	Marks (V2) (Examiner-2)	Marks (V3) (Examiner-3)	Marks After Reval (Final Marks Awarded as per provisions)
A.	100	05	33	40	44	38	No Change
B.	100	05	33	31	33	34	34 (Relaxed norms. Avg. Of 33 & 34 rounded off)
C.	100	05	33	45	40	42	41 (Avg. 40 & 42)
D.	75	3.75	26	26	24	30	25 (Avg. 26 & 24)
E.	150	7.5	50	46	48	54	47 (Avg. of 46 & 48)
F.	150	7.5	50	47	49	49	No Change
G.	150	7.5	50	48	51	50	51 (Relaxed norms Avg. of 50 & 51 rounded off)
H.	150	7.5	50	48	49	51	No Change
I.	75	3.75	26	24	27	21	26 (Relaxed norms. Avg. Of 24 & 27 rounded off)
J.	75	3.75	26	24	26	25	26 (Relaxed norms. Avg. Of 26 & 25 rounded off)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक १६२३ / २०१६ / ३८-२
प्रति,

रायपुर, दिनांक ०७ / १२ / २०१६

कुलसचिव,
समस्त शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :- पुर्नमूल्यांकन अंतर्गत ५ प्रतिशत अंतर को भी मान्य करने बाबत ।

विषयांतर्गत दिनांक २२.११.२०१६ को माननीय मंत्रीजी के द्वारा समस्त कुलसचिवों एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ली गयी बैठक में हुई चर्चा का स्मरण करने का कष्ट करें। बैठक में निर्देशित किया गया था कि प्रदेश के छात्र-छात्राओं के हित में पुर्नमूल्यांकन में यदि ५ प्रतिशत अंकों का अंतर आता है तो भी मान्य करते हुए तदनुसार इसका लाभ छात्र-छात्राओं को दिया जावे।

अतः निर्देशानुसार इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं आवश्यक हो तो संबंधित परिनियम/अध्यादेश में भी आवश्यक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय का लाभ छात्रों को आगामी परीक्षा सत्र से दिये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कृपया की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(डॉ०बी०एल०अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
छ०ग० शासन
उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक ०७ / १२ / २०१६

पृष्ठांक १६२५ / २०१६ / ३८-२
प्रतिलिपि :-

१. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन, रायपुर,
२. प्रमुख सचिव, मान० मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
३. विशेष सहायक, मान० मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
४. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
५. कुलपतिजी, समस्त शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़,
६. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
७. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ,
८. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छत्तीसगढ़
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख सचिव
छ०ग० शासन
उच्च शिक्षा विभाग

प्रपत्र - दो

1. विश्वविद्यालय का नाम : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम कमांक : अधिसूचना क्र. 9811/अका./2006, रायपुर, दिनांक 30.11.2006 तथा संशोधित अधिसूचना कमांक 1978/अका./2014, रायपुर दिनांक 24.11.2014
3. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम का नाम : अध्यादेश क्र. - 06 Examinations (General) Refer clause (iii) of section 37)
4. अनुशंसा के प्राधिकारी का नाम एवं अनुशंसा की तिथि धारा 52 (4) की स्थिति में : कार्यपरिषद दिनांक 11.01.2017 के निर्णयानुसार गठित समिति के प्रतिवेदनानुसार
कुलपति द्वारा अनुशंसा की तिथि : 02.02.2017

पुनःपुनर्मूल्यांकन / पैनल मूल्यांकन हेतु प्रावधान में संशोधन करने बाबत।

अधिसूचना कमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
9811/अका./2006, रायपुर, 30 नवम्बर 2006 तथा संशोधित अधिसूचना कमांक 1978/अका./2014, रायपुर, दिनांक 24.11.2014	<p>विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.11.2006 में लिये गये निर्णय के अनुसार वे परीक्षार्थी जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के पश्चात लिखित उत्तर-पुस्तिका की सत्यापित छाया प्रति प्राप्त की है तथा यदि पूर्व में उन्हें प्राप्त अंकों से असंतुष्ट है तो वे पुनः कुलपति जी को संबोधित करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वे इस हेतु अभ्यावेदन 15 दिवस के अंदर उत्तर-पुस्तिका शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा कर सकते हैं। संबंधित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात इसका मूल्यांकन तीन सदस्यीय परीक्षकों के पैनल से (जो विश्वविद्यालय के बाहर के हों) मूल्यांकन कराया जायेगा। संबंधित सदस्यों के पैनल के द्वारा जो अंक प्राप्त होंगे वे अंतिम अंक माना जावेगा परंतु इसकी गणना पुनर्मूल्यांकन नियम के अनुसार होगी।</p> <p>संशोधन पश्चात :- उपरोक्त के साथ ही पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल) आवेदन करते ही छात्र के मूल प्राप्तांक एवं पुनर्मूल्यांकन अंक को निरस्त माना जावेगा। पुनःपुनर्मूल्यांकन में प्राप्त अंक अंतिम प्राप्तांक होगा।</p>	<p>छात्र/छात्राएं पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) परिणाम से भी असंतुष्ट होकर कुलपति / कुलसचिव महोदय के समक्ष पुनः शिकायत लेकर आते हैं। इस हेतु उचित होगा कि निम्नानुसार तीन सदस्यीय अपीलीय निकाय का गठन कर प्रत्येक सत्र हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य का मनोनयन किया जाय जो निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रकरण का परीक्षण करेगा :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शिक्षाविद् / एकेडमीशियन - अध्यक्ष (मान. कुलपति महोदय द्वारा मनोनित) 2. संबंधित विषय/प्रश्न-पत्र के विशेषज्ञ - सदस्य (मान. कुलपति महोदय द्वारा मनोनित) 3. प्रशासनिक अधिकारी कुलसचिव (पदेन) - सचिव (अथवा कुलसचिव महोदय द्वारा मनोनित सदस्य)


		<p>उपरोक्त अपीलीय निकाय में कोरम पूरा करने के लिए दो सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिसमें संबंधित विषय / प्रश्न-पत्र के विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पूर्व नामित विषय / प्रश्न-पत्र के विशेषज्ञ की अनुपस्थिति पर मान. कुलपति महोदय किसी अन्य विषय विशेषज्ञ को निश्चित अवधि के लिए नामित कर सकेंगे।</p> <p>1. पुनर्मूल्यांकन के लिए जिन परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है , पुनर्मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की छाया प्रति पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर निर्धारित प्रपत्र में प्रति उत्तर-पुस्तिका निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्राप्त कर सकेंगे।</p> <p>2. परीक्षार्थी के उन विषयों / प्रश्न-पत्रों में जिनके पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित किये जा चुके हैं तथा जिन्होंने नियमानुसार संबंधित उत्तर-पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त की है, वे पुनर्मूल्यांकन परिणाम से असंतुष्ट होने पर निर्धारित प्रपत्र में अपनी उत्तर-पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करते हुए पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) हेतु नियमानुसार उत्तर-पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने के <u>07 दिवस</u> के भीतर कुलपति महोदय को संबोधित अभ्यावेदन निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्रति उत्तर-पुस्तिका शुल्क के साथ प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन तीन सदस्यीय परीक्षको के पैनल से (जो विश्वविद्यालय के बाहर के हों) मूल्यांकन</p>
--	--	--

5/2/17

		<p>कराया जायेगा। पैनल द्वारा प्रदत्त अंको की गणना पुनर्मूल्यांकन नियम के अनुसार होगी। पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) हेतु आवेदन करते ही छात्र के मूल प्राप्तांक एवं पुनर्मूल्यांकन अंको को निरस्त माना जावेगा।</p> <p>3. पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) के परिणाम घोषित होने के पश्चात भी यदि आवेदक परिणाम से असंतुष्ट है तो वह पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) परिणाम घोषणा के 07 दिवस के भीतर उत्तर-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करते हुए मूल प्राप्तांक का तथा अपनी आपत्तियों का बिंदुवार/प्रश्नवार उल्लेख करते हुए अपीलीय निकाय द्वारा परीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रति उत्तर-पुस्तिका निर्धारित शुल्क के साथ अभ्यावेदन माननीय कुलपति महोदय को संबोधित कर प्रस्तुत करेंगे। जिसका परीक्षण कर अपीलीय निकाय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।</p> <p>4. परीक्षणोंपरांत 03 सदस्यीय अपीलीय निकाय द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।</p> <p>5. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों को मान. कुलपति महोदय विवेकानुसार संज्ञान में लेकर अपीलीय निकाय के समक्ष परीक्षण हेतु निर्देशित कर सकेंगे।</p> <p>6. त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन कार्य करने वाले मूल्यांकनकर्ता के संबंध में अपीलीय निकाय द्वारा अनुशंसा किये जाने पर आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा।</p>
--	--	---

5000/08
22/02/17

		<p>7. पुनर्मूल्यांकन, उत्तर-पुस्तिका की छाया प्रति, पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) एवं अपीलीय निकाय के लिए शुल्क तथा कुलपति महोदय द्वारा मनोनित अध्यक्ष एवं सदस्य को प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण मान. कार्यपरिषद द्वारा किया जावेगा।</p> <p>8. उपरोक्त प्रावधान के लिए विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक - 06 Examinations (General) के कंडिका - 26(पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान, उप-कंडिका 1 से 5) के पश्चात उप-कंडिका - 6 प्रावधानित कर जोड़ा जावे।</p>
--	--	---


कुलसचिव 21/02/17

प्रतिवेदन

पुनःपुनर्मूल्यांकन / पैनल मूल्यांकन के प्रावधान में संशोधन करने बाबत ।

औचित्य:- छात्र/छात्राएं पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) परिणाम से भी असंतुष्ट होकर कुलपति / कुलसचिव महोदय के समक्ष पुनः शिकायत लेकर आते हैं। इसलिए छात्र/छात्राओं के शिकायतों के निराकरण हेतु तीन सदस्यीय अपीलीय निकाय का गठन किया जाना उचित होगा।

वर्तमान प्रावधान :-

वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार (9029/अका./06, रायपुर, दिनांक 04.08.2006, 9811/अका./2006, रायपुर, 30 नवम्बर 2006 तथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 1978/अका./2014, रायपुर, दिनांक 24.11.2014) वे परीक्षार्थी जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के पश्चात लिखित उत्तर-पुस्तिका की सत्यापित छाया प्रति प्राप्त की है तथा यदि पूर्व में उन्हें प्राप्त अंकों से असंतुष्ट है तो वे पुनः कुलपति जी को संबोधित करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वे इस हेतु अभ्यावेदन 15 दिवस के अंदर उत्तर-पुस्तिका शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा कर सकते हैं। संबंधित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात इसका मूल्यांकन तीन सदस्यीय परीक्षकों के पैनल से (जो विश्वविद्यालय के बाहर के हों) मूल्यांकन कराया जायेगा। परंतु इसकी गणना पुनर्मूल्यांकन नियम के अनुसार होगी।

उपरोक्त के साथ ही पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल) आवेदन करते ही छात्र/छात्राओं के मूल प्राप्तांक एवं पुनर्मूल्यांकन अंक को निरस्त माना जावेगा। पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) में प्राप्त अंक अंतिम प्राप्तांक होगा।

प्रस्तावित संशोधन :-

तथापि यह देखा गया है कि छात्र/छात्राएं पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) परिणाम से भी असंतुष्ट होकर कुलपति / कुलसचिव महोदय के समक्ष पुनः शिकायत लेकर आते हैं। इस हेतु उचित होगा कि निम्नानुसार तीन सदस्यीय अपीलीय निकाय का गठन कर प्रत्येक सत्र हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य का मनोनयन किया जाय जो निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रकरण का परीक्षण करेगा :-


1. शिक्षाविद् / एकेडमीशियन — अध्यक्ष
(मान. कुलपति महोदय द्वारा मनोनित)
2. संबंधित विषय/प्रश्न-पत्र के विशेषज्ञ — सदस्य
(मान. कुलपति महोदय द्वारा मनोनित)
3. प्रशासनिक अधिकारी , कुलसचिव (पदेन) — सचिव
(अथवा कुलसचिव महोदय द्वारा मनोनित सदस्य)


उपरोक्त अपीलीय निकाय में कोरम पूरा करने के लिए दो सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिसमें संबंधित विषय / प्रश्न-पत्र के विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पूर्व नामित विषय/प्रश्न-पत्र के विशेषज्ञ की अनुपस्थिति पर मान. कुलपति महोदय किसी अन्य विषय विशेषज्ञ को निश्चित अवधि के लिए नामित कर सकेंगे।

इस संबंध में 03 सदस्यीय अपीलीय निकाय हेतु निम्नांकित प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है :-


1. पुनर्मूल्यांकन के लिए जिन परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है, पुनर्मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की छाया प्रति पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर निर्धारित प्रपत्र में प्रति उत्तर-पुस्तिका निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
2. परीक्षार्थी के उन विषयों / प्रश्न-पत्रों में जिनके पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित किये जा चुके हैं तथा जिन्होंने नियमानुसार संबंधित उत्तर-पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त की है, वे पुनर्मूल्यांकन परिणाम से असंतुष्ट होने पर निर्धारित प्रपत्र में अपनी उत्तर-पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करते हुए पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) हेतु नियमानुसार उत्तर-पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने के 07 दिवस के भीतर कुलपति महोदय को संबोधित अभ्यावेदन निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्रति उत्तर-पुस्तिका शुल्क के साथ प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन तीन सदस्यीय परीक्षको के पैनल से (जो विश्वविद्यालय के बाहर के हों) मूल्यांकन कराया जायेगा। पैनल द्वारा प्रदत्त अंको की गणना पुनर्मूल्यांकन नियम के अनुसार होगी। पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) हेतु आवेदन करते ही छात्र के मूल प्राप्तांक एवं पुनर्मूल्यांकन अंको को निरस्त माना जावेगा।
3. पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) के परिणाम घोषित होने के पश्चात भी यदि आवेदक परिणाम से असंतुष्ट है तो वह पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) परिणाम घोषणा के 07 दिवस के भीतर उत्तर-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करते हुए मूल प्राप्तांक का तथा अपनी आपत्तियों का बिंदुवार/प्रश्नवार उल्लेख करते हुए अपीलीय निकाय द्वारा परीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रति उत्तर-पुस्तिका निर्धारित शुल्क के साथ अभ्यावेदन माननीय कुलपति महोदय को संबोधित कर प्रस्तुत करेंगे। जिसका परीक्षण कर अपीलीय निकाय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।


4. परीक्षणोंपरांत 03 सदस्यीय अपीलीय निकाय द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों को मान. कुलपति महोदय विवेकानुसार संज्ञान में लेकर अपीलीय निकाय के समक्ष परीक्षण हेतु निर्देशित कर सकेंगे।
6. त्रूटिपूर्ण मूल्यांकन कार्य करने वाले मूल्यांकनकर्ता के संबंध में अपीलीय निकाय द्वारा अनुशंसा किये जाने पर आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा।
7. अपीलीय निकाय के लिए शुल्क तथा कुलपति महोदय द्वारा मनोनित अध्यक्ष एवं सदस्य को प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण मान. कार्यपरिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
8. उपरोक्त प्रावधान के लिए विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक -- 06 Examinations (General) के कंडिका -- 26(पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान, उप-कंडिका 1 से 5) के पश्चात उप-कंडिका -- 6 प्रावधानित किया जाना प्रस्तावित है।


(डॉ. ए.के. पति)
समन्वयक


(डॉ. शैलेन्द्र सराफ)
सदस्य

(डॉ. ए.के. गुप्ता)
सदस्य


(डॉ. एस.के. जाधव)
सदस्य


(डॉ. ए.के. श्रीवास्तव)
सदस्य